

प्रेषक,

आवश्यक

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

पत्रांक C-1187 /स0क0/मु0सा0वि0/2021-22

दिनांक 27/11/2021

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समस्त जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-902/स0क0/विकास/मु0सा0वि0/2021-22 दिनांक 26 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक ही तिथि पर कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में है।

2- उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1174 दिनांक 25.11.2021 के माध्यम से आप सभी को योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी/शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 05.12.2021 को सामूहिक विवाह का वृहद कार्यक्रम कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि योजनान्तर्गत चयनित जोड़ों का सघन सत्यापन करा लिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके तथा पात्र जोड़ों हेतु धनराशि की माँग एवं अन्य सूचना निर्धारित प्रारूप पर दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा। 9/11

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।
8. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/कार्यवाहक प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा। 9/11637/NA/C
27-11-21HC Vashit
1
01.12.21

NSA

NA

27-11-21

दिनांक 05.12.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु सूचना का प्रारूप

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	घनराशि की गोंग	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई0 एफ0एस0 कोड	बैंक का नाम एवं पता

(हस्ताक्षर)
सम्बंधित अधिकारीगण
जनपद आगरा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्वित दिनांक 05.12.2021 को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित लाभार्थियों का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगरीय निकाय / विकास खण्ड का नाम	सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिनांक	लाभार्थी (कन्या) का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	ग्राम का नाम	पिता का नाम	पता	लाभार्थी का मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-902 /स0क0/विकास/गु0स0वि0/2021-22

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को एक वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के संबंध में

गहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी0-601/स0क0/विकास/गु0स0वि0/2021-22 दिनांक 13.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में सामूहिक विवाह का एक वृहद कार्यक्रम रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के उच्च स्तर द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन/मेगा इवेंट के रूप में एक ही तिथि एवं समय पर शुभ मुहूर्त में दिनांक 05.12.2021 को आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्यालयों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाना है। अतएव जनपद स्तर में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए एक ही तिथि पर सामूहिक विवाह का आयोजन कराये जाने संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए पंजीकृत जोड़ों की संख्या के आधार पर धनराशि की मांग भी अवश्य कर ली जाये। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में मा0 प्रभारी मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 सांसद/मा0 विधायक को अवश्य आमंत्रित किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि योजनान्तर्गत पंजीकृत जोड़ों का सामूहिक विवाह दिनांक 05.12.2021 को एक ही दिन कराये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
26/11/2021

(राकेश कुमार)
निदेशक।

प्रुष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।...

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों का सतत अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 05.12.2021 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम पंजीकृत जोड़ों के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि को घटाते हुए मांगपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
निदेशक।

“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” गठित क्रय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत आवश्यक सामग्री को क्रय एवं दरों के निर्धारण सम्बन्धी शासन द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 04 दिसम्बर 2021 को सांय 4:30 बजे विकास भवन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में गठित समिति के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही है-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	गठित समिति
1	श्री ए० मनिकन्डन	मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।	अध्यक्ष
2	श्री वृज बिहारी कुशवाह	मुख्य कोषाधिकारी, आगरा	सदस्य
3	श्री सतीश कुमार	जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आगरा।	सचिव/सदस्य
4	श्रीमती शिखी यादव	जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा।	सदस्य (महिला)
5	श्री साहब सिंह यादव	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा।	सदस्य
6	श्री वत्स कृष्ण	सहायक आयुक्त, उद्योग केन्द्र/प्रतिनिधि उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र आगरा।	सदस्य
7	श्री विमल सिकरवार	ए०आर०ओ०/प्रतिनिधि जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा।	सदस्य
8	सुश्री पल्लवी अग्रवाल	सहायक श्रम आयुक्त, श्रमविभाग, आगरा	सदस्य (महिला)

बैठक कार्यवाही

सर्व प्रथम समिति के सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले जोड़ों को रू० 10000/- प्रति जोड़े के दर से विवाह संस्कार/आवश्यक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल चांदी के तथा 07 बर्तन) भेंट किये जाने का प्राविधान है।

2- योजनान्तर्गत चयनित/विवाहित जोड़ों को रू० 10000/- की दी जाने वाली आवश्यक सामग्री में से यथा वस्त्रादि हेतु रू० 3070/- प्रति जोड़े की दर से यू०पी० इण्डस्ट्रीयल कापरेटिव एसोसिएशन लि०क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ से क्रय किये जाने हेतु उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 1761/26-3-2018-4(188)/93टी०सी दिनांक 31 अगस्त 2018 के द्वारा निर्देश प्रसारित हैं। तत्संदर्भ में उक्त संस्था से निर्धारित दरों पर सामान क्रय किये जाने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी। उक्त संस्था द्वारा रू० 3070/- के भेंट किये जाने वाले यथा वस्त्रादि का विवरण निम्नवत् है-

हिन्दु विवाह हेतु

क्रमांक	विवरण	मूल्य (रू० में)
1	1 साडी कढाई मैरून कलर (5.5 मीटर ब्लाउज)	1590/-प्रति
2	1 पेटीकोट (2.25 मीटर)	150/-प्रति
3	1 चुनरी मैरून कढाई (2.25 मीटर)	490/-प्रति
4	दूल्हा हेतु पेंट (1.20 मीटर) एवं शर्ट (2.25 मीटर)	690/-प्रति
5	भांवर हेतु फेटा (2.5 मीटर सफेद/गुलाबी)	150/-प्रति
प्रति विवाह हेतु कुल योग		3070/-प्रति

मुस्लिम विवाह हेतु

क्रमांक	विवरण	मूल्य (रू० में)
1	1 सूट कढाई मैरून कलर (5मीटर) एवं दुपट्टा (2.25मीटर)	1490/-प्रति
2	1 चुनरी मैरून कढाई (2.25 मीटर)	490/-प्रति
3	1 सूट कपडा प्रिंटेड डेली वियर (5 मीटर)	400/-प्रति
4	दूल्हा हेतु पेंट (1.20 मीटर) एवं शर्ट (2.25 मीटर)	690/-प्रति
प्रति विवाह हेतु कुल योग		3070/-प्रति

(2)

3- समिति के सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत वस्त्रादि के अतिरिक्त रू0 6930/- की अन्य आवश्यक सामग्री जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 के प्रस्तर (iii) के बिन्दु संख्या (ख) के अनुसार स्थानीय स्तर पर पूर्व की भांति नियमानुसार क्रय किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है तथा सम्बंधित निकायों यथा-खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/नगर निगम के द्वारा आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर पूर्व से ही क्रय की जाती रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	सामग्री का नाम
1	कुकर 3 लीटर
2	मोबाइल (कीपेड वाला)
3	मेकअप किट
4	डिनर सेट स्टील (51 आइटम)
5	एक जोड़ी पायल चॉदी की एवं बिछुआ

4- उक्त का अवलोकन कर समिति के सभी सदस्यों द्वारा रू0 6930/- मात्र की भेंट की जाने वाली आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर पूर्व की भांति नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी।

5- योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित तिथि 11.12.2021 नजदीक होने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये बैठक में उपस्थित गठित समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्यों द्वारा उल्लिखित विवरण अनुसार आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर सम्बंधित निकायों यथा खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद/नगर निगम के द्वारा क्रय किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की गयी।

इसी के साथ धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुयी।

(ए0 मनिकन्दन)

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद - आगरा।

पत्रांक 6-1240/स0क0/मु0सा0वि0यो0/बैठक कार्यवृत्त/ 2021-22 दिनांक 6-12-2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र आगरा, जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आगरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, आगरा, जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि सम्बंधित निकायों से प्राप्त मॉग के अनुसार तत्काल योजनान्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आगरा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/छावनी परिषद, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/प्रभारी कार्यवाहक सहायक विकास अधिकारी (स0क0) आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. प्रबन्धक यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कापरेटिव एसोसिएशन लि0क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा 6.12.21

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

आवश्यक

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

पत्रांक C-1187 / स0क0 / मु0सा0वि0 / 2021-22

दिनांक 27/11/2021

विषय—“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समस्त जिलाधिकारी महोदय को सम्बोधित निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-902/स0क0/विकास/मु0सा0वि0/2021-22 दिनांक 26 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक ही तिथि पर कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में है।

2- उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1174 दिनांक 25.11.2021 के माध्यम से आप सभी को योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में ही प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी/शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 05.12.2021 को सामूहिक विवाह का वृहद कार्यक्रम कराने का कष्ट करें। इसके साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि योजनान्तर्गत चयनित जोड़ों का सघन सत्यापन करा लिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके तथा पात्र जोड़ों हेतु धनराशि की मांग एवं अन्य सूचना निर्धारित प्रारूप पर दो दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

S.K. Kapoor

9.12.21
1188

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।
8. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/कार्यवाहक प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

दिनांक 05.12.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु सूचना का प्रारूप

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	घनराशि की गोंग	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई० एफ०एस० कोड	बैंक का नाम एवं पता

(हस्ताक्षर)
सम्बंधित अधिकारीगण
जनपद आगरा।

पत्रिका क्रमांक

५५

पत्रिका क्रमांक/दिनांक

१. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

पत्रिका क्रमांक

५५

२. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

३. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

४. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

५. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

६. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

७. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

८. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

९. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

१०. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

५५

११. २०१५-१६ वीं वर्षासाठी २०१५-१६ वीं वर्षासाठी

५५

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत दिनांक 05.12.2021 को आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित लाभार्थियों का विवरण

क्र०सं०	जनपद का नाम	नगरीय निकाय / विकास खण्ड का नाम	सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिनांक	लाभार्थी (कन्या) का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	वर का नाम	पिता का नाम	पता	लाभार्थी का मोबाइल नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक C-902 /स0क0/विकास/गु0स0वि0/2021-22

लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2021

विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को एक वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के संबंध में-

सहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक सी0-601/स0क0/विकास/गु0स0वि0/2021-22 दिनांक 13.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में सामूहिक विवाह का एक वृहद कार्यक्रम रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासन के उच्च स्तर द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन/मेगा इवेंट के रूप में एक ही तिथि एवं समय पर शुभ मुहूर्त में दिनांक 05.12.2021 को आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेख करना है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्यालयों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जाना है। अतएव जनपद स्तर में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए एक ही तिथि पर सामूहिक विवाह का आयोजन कराये जाने संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए पंजीकृत जोड़ों की संख्या के आधार पर धनराशि की मांग भी अवश्य कर ली जाये। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन में मा0 प्रभारी मंत्री/मा0 मंत्री/मा0 सांसद/मा0 विधायक को अवश्य आमंत्रित किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि योजनान्तर्गत पंजीकृत जोड़ों का सामूहिक विवाह दिनांक 05.12.2021 को एक ही दिन कराये जाने संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सवदीय,

(राकेश कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों का सतत अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 05.12.2021 को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम पंजीकृत जोड़ों के सापेक्ष जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि को घटाते हुए मांगपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
निदेशक।



कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी-आगरा।

पत्रांक 1174/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25/11/21

1218/MSA/CD
26/11/21

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष के मध्य दी जाने वाली तिथि पर "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कार्यक्रम कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2021 को सांय 4:00 बजे गूगल मीट के माध्यम समीक्षा बैठक की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष के मध्य दी जाने वाली तिथि पर 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में एक साथ कराया जाना प्रस्तावित हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली तिथि से शीघ्र ही जनपदों को अवगत कराया जायेगा एवं इस हेतु सम्बंधित अधिकारीगण योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3- उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से आप सभी को पूर्व में योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी/शासन की मंशानुरूप माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष में दी जाने वाली तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार लक्ष्यों की पूर्ति/चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण किये जाने का कष्ट करें, शासन द्वारा दी जाने वाली तिथि से आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा। इसके साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि योजनान्तर्गत चयनित जोड़ों का सघन सत्यापन करा लिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके तथा पात्र जोड़ों हेतु धनराशि की मांग एवं अन्य सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।
8. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/कार्यवाहक प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

NSA

NA

26-11-21

HC

30/11/21
MSA



कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी-आगरा।

पत्रांक 1178 /स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25/11/2021

1. 11/11/21
26/11/21

1. नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना) /
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।

विषय-: नवचेतना जागृति संस्था, आगरा के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2021 को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित 51 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित किये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक आपको सम्बोधित जिला महासचिव, नवचेतना जागृति संस्था, 64/153 ए, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर, आगरा के पत्र दिनांक 25 नवम्बर 2021 का संदर्भ लें, जोकि उक्त संस्था के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2021 को जिलाधिकारी निवास के सामने ग्राउन्ड, एम0जी0रोड, आगरा में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराये जाने एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जोड़ों को लाभान्वित किये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि मा0 एस0पी0सिंह बघेल जी, मा0 राज्यमंत्री, कानून मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य अतिथि मा0 रमापति शास्त्री जी, मा0 मंत्री जी, समाज कल्याण, उ0प्र0 तथा मा0 बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड/राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा0ज0पा0/संरक्षक नवचेतना जागृति संस्था, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर आगरा के द्वारा सहभागिता की जानी है।

3- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी0आई0 पी0/26-3-2017-4 (188)/93 टी0सी0 दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/जांच/स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आप अधिकृत हैं। इसके साथ ही योजनान्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित किये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में सम्बंधित संस्था का पत्र मूलरूप में संलग्न कर इस निर्देश के साथ आपको प्रेषित किया जा रहा है कि आप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

(ए0 मनिकन्दन)

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, आगरा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला महासचिव, नवचेतना जागृति संस्था, 64/153 ए, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर, आगरा को इस आशय के साथ कि आप तत्काल चयनित जोड़ों के आवेदन पत्र समस्त औपचारिकताओं सहित नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना)/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।
25-11-21

NSA

NA

26-11-21

11/11/21

30/11/21



महत्वपूर्ण बैठक
कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1203/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 23-11-2021

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय:- दिनांक 05.12.2021 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन हेतु दिनांक 30.11.2021 को आहूत बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है।

2- उक्त के परिपालन हेतु पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या सी-1187 दिनांक 27.11.2021 के माध्यम से आप सभी को योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति/जोड़ों का चयन/जाँच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

3- योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अघोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2021 को विकास भवन के सभाकक्ष में समय सांय 4:00 बजे किया जा रहा है। बैठक का एजेन्डा निम्नवत् है-

- (क) चयनित/पंजीकृत जोड़ों की संख्या एवं धनराशि का माँग पत्र,
- (ख) विवाह स्थल का विवरण,
- (ग) कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा,
- (घ) अन्य बिन्दु।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2021 को विकास भवन के सभाकक्ष में समय सांय 4:00 बजे आयोजित बैठक में आवश्यक सूचनाओं सहित प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए0 मनिक्कन्दन)
मुख्य विकास अधिकारी,
01/ आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. उपनिदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।
7. उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आगरा।
8. नाजिर, विकास भवन, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त बैठक हेतु सभाकक्ष निःशुल्क उपलब्ध करायें।

मुख्य विकास अधिकारी,
01/ आगरा। 29.11.21

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / छा0 परि0, आगरा।

पत्रांक C-1114 / स0क0 / मु0सा0वि0यो0 / 2021-22

दिनांक 12-11-2021

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्नक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-795 / स0क0 / विकास / मु0सा0वि0 / 2021-22 दिनांक 11 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 16.11.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1099 दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे पूर्व में अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी किसी भी स्तर से वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे पुनः अनुरोध है कि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.11.2021 की साय 4:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित करते हुए योजनान्तर्गत धनराशि की माँग की जा सके।

संलग्नक-पत्र एवं प्रारूप।

भवदीय



(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0) / प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

S. K. Kapoor

07.12.21
MSA

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/छा0 परि0, आगरा।

पत्रांक C-1114 /स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22

दिनांक 12-11-2021

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्नक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-795/स0क0/विकास/मु0सा0वि0/2021-22 दिनांक 11 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 16.11.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1099 दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे पूर्व में अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी किसी भी स्तर से वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे पुनः अनुरोध है कि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.11.2021 की सांय 4:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित करते हुए योजनान्तर्गत धनराशि की माँग की जा सके।

संलग्नक-पत्र एवं प्रारूप।

S.K. Keshar/H.C.

M.S.A

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला-समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।



महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1066/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22

दिनांक 03/11/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि 16 नवम्बर 2021 को परिवर्तित किये जाने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में एक साथ कराया जाना प्रस्तावित हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली एक ही तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जाये तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली तिथि से शीघ्र ही जनपदों को अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में योजनान्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 16 नवम्बर 2021 परिवर्तित की जा रही है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर ही सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जाये तथा शासन स्तर से प्राप्त होने वाली तिथि से आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।

इसके साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 1004 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति/चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु दिये गये दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

(प्रभु एन0 सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक-1207/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22

दिनांक 29/11/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक निर्देशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-902/स0क0/विकास/मु0सा0वि0/2021-22 दिनांक 26 नवम्बर 2021 का संदर्भ लें, जोकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम एक ही तिथि पर कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सन्दर्भ में है।

2- उक्त के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से आप सभी को योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति/जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु पूर्व में ही आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः सम्बंधित अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत निर्धारित तिथि दिनांक 05.12.2021 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जनपद के मा0 सांसदगण/विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 के सुरक्षात्मक मानकों (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर आदि) को दृष्टिगत रखते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अपनी तहसील मुख्यालय के विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों/नगरीय निकाय को सम्मिलित करते हुए शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अपने स्तर पर उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभु एस0सिंह)

जिलाधिकारी

01/12/2021 आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
7. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा।



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1604/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25/10/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय:- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप माह नवम्बर 2021 के तृतीय पक्ष में अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर दिनांक 16 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह नवम्बर 2021 में 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु निदेशक महोदय द्वारा अधिक से अधिक जोड़ों के चयन/जाँच/स्वीकृति/तिथि निर्धारित किये जाने के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश बैठक में प्रदान किये गये हैं।

3- उक्त के संदर्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा द्वारा पूर्व में अपने पत्र संख्या सी-645 दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से आप सभी को माह नवम्बर 2021 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने एवं जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जाँच/स्वीकृति हेतु अनुरोध भी किया गया है।

4- योजनान्तर्गत शासन की मंशानुरूप सामूहिक विवाह हेतु 16 नवम्बर 2021 की तिथि निर्धारित करते हुए विकास खण्ड/नगरीय निकाय का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	लक्ष्य
1	विकास खण्ड अकोला	50
2	विकास खण्ड बिचपुरी	50
3	विकास खण्ड बरौली अहीर	50
4	विकास खण्ड एत्मादपुर	50
5	विकास खण्ड खन्दौली	50
6	विकास खण्ड फतेहपुरसीकरी	50
7	विकास खण्ड अछनेरा	50
8	विकास खण्ड सैंया	50
9	विकास खण्ड खेरागढ	50
10	विकास खण्ड जगनेर	50
11	विकास खण्ड शमशाबाद	50
12	विकास खण्ड फतेहाबाद	50
13	विकास खण्ड बाह	50
14	विकास खण्ड जैतपुरकलौ	50
15	विकास खण्ड पिनाहट	50
योग		750

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	लक्ष्य
1	नगर निगम आगरा	100
2	छावनी परिषद	10
3	दयालबाग	05
4	स्वामीबाग	05
5	एत्मादपुर	05
6	फतेहपुरसीकरी	05
7	अछनेरा	05
8	किरावली	05
9	खेरागढ	05
10	जगनेर	05
11	शमशाबाद	05
12	फतेहाबाद	05
13	बाह	05
14	पिनाहट	05
योग		170

१

5- इसके साथ ही यदि योजनान्तर्गत किसी विकास खण्ड एवं नगरीय निकाय में लक्ष्यों के अतिरिक्त जोड़ों का चयन होता है, तो उन्हें भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये तथा मांग/सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को उपलब्ध कराये, जिससे कि योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशालय से की जा सके।

6- योजनान्तर्गत शासनादेश सं० 161/2017/44वी०आई०पी०/26-3-2017-4(188)/93 टी०सी० दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जांच/स्वीकृति/स्थल चयन/सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आप अधिकृत हैं।

7- इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आपके स्तर पर समिति भी गठित है।

8- उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत लक्ष्यों के अतिरिक्त अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह का आयोजन अपनी तहसील मुख्यालय के विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों/नगरीय निकाय को सम्मिलित करते हुए शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अपने स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराये।

9- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति में उपजिलाधिकारी, सदस्य के रूप में नामित हैं, अतएव सम्बंधित उपजिलाधिकारी अपने अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में उक्त कार्यक्रम कराये।

10- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि पर विवाह आयोजन हेतु अधिकृत शासकीय संस्थायें यथा नगरीय निगम, विकास खण्ड तथा नगरीय पालिका परिषद एवं नगरीय पंचायत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-

(i) सम्बंधित अधिकारीगण जोड़ों का चयन/गहन जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 10 नवम्बर 2021 की सांय तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे उनके द्वारा चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके।

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई० एफ०एस० कोड	बैंक का नाम एवं पता

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त मांग/सूचना के अनुसार तत्काल योजनान्तर्गत सम्बंधितों के खातों में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) योजनान्तर्गत 51000/- प्रति जोड़े के हिसाब से स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि आप द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की जायेगी।

(क) प्रत्येक कन्या के खाते में रू० 35000/- की दर से धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।

(ख) योजनान्तर्गत विवाहित जोड़ों को रू० 10000/- की दी जाने वाली आवश्यक सामग्री में से यथा-वस्त्रादि हेतु रू० 3070/- प्रति जोड़े की दर से यू०पी० इण्डस्ट्रीयल कोर्पोरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ से क्रय की जायेगी। इसके साथ ही रू० 6930/-प्रति जोड़े की दर से दी जाने वाली अन्य आवश्यक सामग्री/उपहार (क्रमशः बर्तन, चांदी की पायल, बिछुआ, मोबाइल, कुकर, आदि) हेतु आप शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के बिन्दु संख्या (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार विवाह संस्कार की अन्य आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय नियमों के तहत क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

- (ग) सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति जोड़ा रू0 6000/- की धनराशि आपके स्तर पर नियमानुसार व्यय की जानी है।
- (iv) योजनान्तर्गत वित्तीय 2021-22 में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को तत्काल प्रेषित किया जाये। इसके साथ ही योजनान्तर्गत शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें।
- (v) सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में जनपद के मा0 सांसदगण/विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 के सुरक्षात्मक मानकों (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर आदि) का पालन करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभु एन0सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा।



5614/P/MSA/2021

दस्ता 2021

महत्वपूर्ण बैठक

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1203/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25-11-2021

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय-दिनांक 05.12.2021 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन हेतु दिनांक 30.11.2021 को आहूत बैठक में प्रतिभाग किये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं शासन की मंशानुरूप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सम्पूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है।

2- उक्त के परिपालन हेतु पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या सी-1187 दिनांक 27.11.2021 के माध्यम से आप सभी को योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति/जोड़ों का चयन/जाँच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

3- योजनान्तर्गत दिनांक 05.12.2021 को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सफल संचालन/क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2021 को विकास भवन के सभाकक्ष में समय सांय 4:00 बजे किया जा रहा है। बैठक का एजेन्डा निम्नवत् है-

- (क) चयनित/पंजीकृत जोड़ों की संख्या एवं धनराशि का मांग पत्र,
- (ख) विवाह स्थल का विवरण,
- (ग) कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा,
- (घ) अन्य बिन्दु।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2021 को विकास भवन के सभाकक्ष में समय सांय 4:00 बजे आयोजित बैठक में आवश्यक सूचनाओं सहित प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित करें।

(ए0 मनिकन्दन)
मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. उपनिदेशक, समाज कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।
7. उपनिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आगरा।
8. नाजिर, विकास भवन, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त बैठक हेतु सभाकक्ष निःशुल्क उपलब्ध करायें।

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा। 29.11.21

30.11.21
MVA



कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी-आगरा।

पत्रांक-1174/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25/11/2021

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष के मध्य दी जाने वाली तिथि पर "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कार्यक्रम कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2021 को सांय 4:00 बजे गूगल मीट के माध्यम समीक्षा बैठक की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष के मध्य दी जाने वाली तिथि पर 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में एक साथ कराया जाना प्रस्तावित हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली तिथि से शीघ्र ही जनपदों को अवगत कराया जायेगा एवं इस हेतु सम्बंधित अधिकारीगण योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3- उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 के माध्यम से आप सभी को पूर्व में योजनान्तर्गत जोड़ों का चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको दिशा-निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

अतः उक्त के क्रम में आपसे पुनः अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी/शासन की मंशानुरूप माह दिसम्बर 2021 के प्रथम पक्ष में दी जाने वाली तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्रांक 1066 दिनांक 03.11.2021 के अनुसार लक्ष्यों की पूर्ति/चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण किये जाने का कष्ट करें, शासन द्वारा दी जाने वाली तिथि से आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा। इसके साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि योजनान्तर्गत चयनित जोड़ों का सघन सत्यापन करा लिया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके तथा पात्र जोड़ों हेतु धनराशि की मांग एवं अन्य सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।
8. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0)/कार्यवाहक प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

निदेशक
WA 26-11-2021

S. H. Kapoor

26.11.21

5559/R/13/12
26-11-2021

ईमेल/बजट आवंटन

प्रेषक,
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।
सेवामें,
निदेशक,
समाज कल्याण, उ०प्र०,
लखनऊ।

पत्रांक 1175 /स०क०/मु०सा०वि०यो०/2021-22

दिनांक

25/11/21

विषय:—नवचेतना जागृति संस्था, आगरा के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2021 को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित 51 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय में प्राप्त जिला महासचिव, नवचेतना जागृति संस्था, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर, आगरा के पत्र दिनांक 25 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि उक्त संस्था के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2021 को जिलाधिकारी निवास के सामने ग्राउन्ड, एम०जी०रोड, आगरा में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराये जाने एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से जोड़ों को लाभान्वित किये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि मा० एस०पी०सिंह बघेल जी, मा० राज्यमंत्री, कानून मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य अतिथि मा० रमापति शास्त्री जी, मा० मंत्री जी, समाज कल्याण, उ०प्र० तथा मा० बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड/राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भा०ज०पा०/संरक्षक नवचेतना जागृति संस्था, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर आगरा के द्वारा सहभागिता की जानी है।

3- उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित 51 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित कराये जाने हेतु जनपद में अतिरिक्त धनराशि रू० 26.01 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 51 जोड़ों हेतु रू० 26.01 लाख की अतिरिक्त धनराशि जनपद आगरा को आवंटित/उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना)/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
5. जिला महासचिव, नवचेतना जागृति संस्था, 64/153 ए, ताल फिरोजखॉ, मधुनगर, आगरा।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

निराज सिंह
26/11/21

S.K.
Koparkar

26-11-21

5540/R/M/A/2021
28.11.21

कार्यालय, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 700/D/CFAD/21

दिनांक :- 25-11-2021

समस्त विभागाध्यक्ष

नगर निगम, आगरा

अवगत कराना है कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-प्रथम) उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र सं0 पी0ए0जी0 ऑडिट प्रथम/ए0एम0जी0 2/दल सं0 19/2021-22/4 दिनांक 28.10.2021 के पत्र द्वारा अवगत कराना है कि नगर निगम आगरा की वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 की सम्परीक्षा दिनांक 27.11.2021 से 28.12.2021 तक की जानी है। अतः ऑडिट टीम को समय से उक्त वर्षों के अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श्री. क. क. क. क. क.
28.11.21

S.K. Kapoor / Generalist

28.11.21

प्रतिलिपि-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
नगर निगम, आगरा

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
नगर निगम, आगरा।



नव चेतना जागृति संस्था, उ.प्र.

कार्यालय : 64/153 ए, ताल फिरोज खाँ, मधुनगर, आगरा

पत्रांक
नव

दिनांक 25/11/2021

सेवामें,

नोडल अधिकारी (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना) /
मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।

विषय:— दिनांक 28 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि हमारी संस्था के द्वारा दिनांक 28 नवम्बर 2021 को जिलाधिकारी निवास के सामने ग्राउन्ड, एम0जी0रोड, आगरा में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है।

2— उक्त कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि मा0 एस0पी0सिंह बघेल जी, मा0 राज्यमंत्री, कानून मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य अतिथि मा0 रमापति शास्त्री जी, मा0 मंत्री जी, समाज कल्याण, उ0प्र0 तथा मा0 बेबी रानी मौर्य जी, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड/राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भा0ज0पा0/संरक्षक नवचेतना जागृति संस्था, ताल फिरोजखाँ, मधुनगर आगरा के द्वारा सहभागिता की जानी है।

3— उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित 51 जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से लाभान्वित कराया जाना है, जिसके लिये आप अधिकृत हैं।

4— इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी की संस्था के द्वारा दिनांक 23.11.2021 को नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा एवं अन्य अधिकारीगण यथा जिलाधिकारी महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, को सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 161/2017/44वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93 टी0सी0 दिनांक 12.10.2017 के अनुसार चयनित जोड़ों को लाभान्वित किये जाने सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।

आ.आ. महोदय

क. पु. नगर स्व. आ. महो. 26-11-21

भवदीय
Gyan Singh

(ज्ञान सिंह राजौरिया)

जिला महासचिव नव चेतना जागृति संस्था,
ताल फिरोजखाँ, मधुनगर, आगरा।

प्रतिलिपि—

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, आगरा की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सम्मिलित जोड़ों को लाभान्वित किये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, आगरा को एवं योजनान्तर्गत धनराशि की माँग हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि आप योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(ज्ञान सिंह राजौरिया)

जिला महासचिव नव चेतना जागृति संस्था,
ताल फिरोजखाँ, मधुनगर, आगरा।

चेतना सेवा समिति (रजि.) आगरा

E-mail : chetnasevasamiti1@gmail.com, info@chetnasevasamiti.com

कार्यालय : 10/16 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

दिनांक 23/11/21.....

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता

(चेयरमैन शारदा ग्रुप)

डा. रंजना बंसल

चेयरमैन अशोक ग्रुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल

(श्री ज्वैलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल

चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)

पूरन डॉवर

(चेयरमैन-एफमैक)

शौकीन पवार

चेयरमैन- केक हाउस

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चीलाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

उपाध्यक्ष - पंजाबी सभा

रेश चन्द बिन्दल

जगनेर वाले

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

नवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

चेयरमैन-रतन प्रकाशन मन्दिर

राजेंद्र गुप्ता

बृजभोग मिष्ठान भण्डार

एस. के. गोयल

डायमण्ड डायरेक्टर -ओरिफ्लेम

शरद अग्रवाल

(ताजगंज वाले)

प्रति,

श्रीमान श्री स्वर्ण अधिकारी
श्री निगम आगरा

प्रत्येक निवेदन है कि मैंने द्वारा 42 (व्यापार) फर्म
ग्राम-नीय मुख्यमंत्री सामूहिक निवास योजनागत
क्षेत्रीय निवेशन हेतु उपलब्ध कराये गये थे
अतः क्षेत्रीय निवेशन उपरान्त पाए गए अपात फार्मों
को सुधे वापस करने का कष्ट करे।

भवदीय

सत्यप्रकाश जैसवाल

संस्थापक अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति

आगरा (U)

90 फार्म फार्म
प्राप्त किये
S.P. Jaiswal
23-11-2021

राजकुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष

मो. 7055482959

राकेश कुमार गुप्ता

महामंत्री

मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल

संस्थापक/अध्यक्ष

मो. 9412372669

अपाल

- 1 - राजनी D/o स्व गुड्डू 56/165/33 अजीतनगर खेरिया ^{अनागरा} (शादी पूर्व में हो चुकी है)
2. सोनिया D/o श्री राजे-5 सत्यमपुरम शाहगंज आगरा (नगर निगम सीमा के बाहर)
3. पूनम D/o श्री राजे-ह सत्यमपुरम शाहगंज आगरा (नगर निगम सीमा के बाहर)
4. खुशबू D/o श्री जगदीश 58/245 गाला मेहराब आगरा (धर्मशाली के रेट रहे हैं)
5. शिबिका D/o श्री मधु बिलासगंज कलवारी आगरा (सीमा के बाहर)
6. जूली D/o स्व मिथलेश बापू केवला नं० 2 शाहगंज आगरा (सीमा के बाहर)
7. सुरती D/o श्री रामगिर सैनिक स्टैंट नोलोनी चौकना सिधपुरी आगरा (नगर निगम सीमा के बाहर)
8. पूजा D/o स्व नरथो 26/313 वाडा चसरसिंह (आप, पैर, आप उगाव पत नहीं)
9. दीपा D/o स्व. राजकुमार 3/6 जीवनी मण्डी बेलनगंज आगरा (पेगला जात रहे हैं)
10. अंजलि D/o श्री भगवान सिंह 1/38 शिला पंपकुइया शाहगंज आगरा (आप, आप उगाव पत नहीं)

१० फार्म प्राप्त किए

राज्य प्रकाश जैवाल

23-11-2021

5483/P/ISA/2021
22-11-2021

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा

पत्रांक :- मी0मो0-07 / डी0 / ए0एन0ए0 / 2021

दिनांक:- 22/11/2021

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा।

विषय :- सी0एम0 हैल्पलाइन एवं आई0जी0आर0एस0 के डिफॉल्टर संदर्भों पर तत्काल आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आई0जी0आर0एस0 एवं मा0 मुख्यमंत्री हैल्पलाइन से प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयान्तर्गत निस्तारण कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार के सर्वोच्च प्राथमिक विषय में है। आपके विभाग से सम्बंधित निम्नलिखित सन्दर्भ डिफाल्टर है :-

40014621045855 ✓	40014621043461	92114600028006	92114600033613
------------------	----------------	----------------	----------------

अतः एदत द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त इंगित संदर्भों पर आज दिनांक 22.11.2021 को सायः 05 बजे तक आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें आख्या प्राप्त न होने की दशा में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये। आख्या प्राप्त न होने की दशा में जिला स्तरीय उच्चाधिकारियों अथवा शासन स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक:- यथोक्त।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम आगरा

प्रतिलिपि :- नगर आयुक्त महोदय को अवलोकनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम आगरा

WA 22/11/2021

शिकायत संख्या : 40014621045855

आवेदक का विवरण:

नाम: सत्यप्रकाश जैसवाल

पिता/पति का नाम: श्यामलाल जैसवाल

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9412372669

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: arunsharma151090@gmail.com

पता: 10/16 एस कपड़ा मार्केट बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे संजय प्लेस आगरा ।

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: सामूहिक विवाह समारोह को नगर स्वास्थ्य नगर निगम आगरा द्वारा स्थगित किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र ।

संदर्भ दिनांक: 11-11-2021

पूर्व सन्दर्भ संख्या(यदि है तो):

विभाग: नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

सन्दर्भ श्रेणी: नगर निगम से सम्बंधित अन्य प्रकरण

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

N.S.A

पता: जिला- आगरा

शिकायत की स्थिति:

प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र.सं.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	प्राप्त/आपत्ति दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	11-11-2021	26-11-2021	जोनल अधिकारी-आगरा, नगर निगम		कार्यालय स्तर पर लंबित

9412372669, 6395241132, 8126970757

चेतना सेवा समिति (रजि.) आगरा

Email: chetnasewasamiti@gmail.com, chetnasewasamiti@chetnasewasamiti.com

कार्यालय : 10/18 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

दिनांक 11.11.2021

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

महोदय,

चेतना सेवा समिति संजय प्लेस, आगरा द्वारा विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के कराती आ रही है। इस वर्ष 14 नवम्बर 2021 (देवठान एकादासी) को सामूहिक विवाह का आयोजन निश्चित किया गया है। दिनांक 23.10.2021 को नगर आयुक्त महोदय आगरा को 26 जोड़े के प्रपत्र प्राप्त कराये गये उसके पश्चात 14 जोड़े के मुख्य सामूहिक विवाह के प्रपत्र 09.11.2021 को नगर आयुक्त आगरा को प्राप्त कराये गये थे। उक्त 40 जोड़े की जांच नगर निगम आगरा द्वारा अपने सुपरवाइजर से कराई गई है।

समिति ने दिनांक 14.11.2021 को सामूहिक विवाह करने हेतु माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुंवया, आगरा बुक करा दिया था चेतना सेवा समिति द्वारा दि० 14.11.2021 में सामूहिक विवाह कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

आज दिनांक 11.11.2021 को शाम 3:45 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, आगरा का पत्रांक 1193/D/NSA/2021 दिनांक 11.11.21 समिति को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 14.11.21 को सामूहिक विवाह स्थगित करने की सूचना दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

सामूहिक विवाह स्थगित होने पर चेतना सेवा समिति की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समिति ने 53 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन विवाह कराने हेतु किया है। वर-वधुओं ने लगन, मंहदी, तेल चढ़ाई, आदि घरेलू औपचारिकता पूर्ण करली है यदि जोड़ों तथा उनके परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह स्थगित होने की सूचना मिलेगी तो उनमें बहुत आक्रोश उत्पन्न होगा। सम्भावना है कि अव्यक्त तत्व उनसे मिलकर कोई अप्रिय कार्यवाही समिति कार्यालय, विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा पर करा सकते है।

चेतना समिति की स्थिति इस परिस्थिति में काफी शोचनीय हो गई। हैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी नगर निगम आगरा का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निर्धन कन्याओं उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि निर्धन, अल्पसंख्यक परिवारों का अहित नहीं हो सके।

आपका - प्रेमपूर्ण
प्रतिलिपि

1. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मा० मुख्यमंत्री महोदय उ०प्र० सरकार लखनऊ
3. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम आगरा
4. समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा।

शुभदीय
S. P. Jaiswal
अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति, आगरा।

राजकुमार गुप्ता
कोषाध्यक्ष
मो. 7055482959

सकेश कुमार गुप्ता
महामंत्री
मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल
संस्थापक/अध्यक्ष
मो. 9412372669

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता
(वेयरमैन शाखा गुप)

डा. रंजना वंसल

वेयरमैन अशोक गुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल
(श्री ज्वैलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल
(वेयरमैन पुष्पांजलि गुप)

पूरन डोंवर

(वेयरमैन-एफमैक)

श्रीकीर्ण पवार

वेयरमैन-केक हाउस

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चीलाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

उपाध्यक्ष - पंजाबी सभा

सुरेश चन्द विन्दल

जगनेर वाले

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

नवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

वेयरमैन-रतन प्रकाशन मन्दिर

राजेन्द्र गुप्ता

बृजभोग मिष्ठान भण्डार

एस. के. गोयल

डायमण्ड डायरेक्टर-ओरिफ्लेम

शरद अग्रवाल

(ताजगंज वाले)

कार्यालय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 1193/D/NSA/2021

दिनांक :- 11/11/21

सेवा में,

मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) आगरा,
10/16 एस, कपड़ा मार्केट,
संजय प्लेस, आगरा।

विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभागीय पत्रांक-1190/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा दिनांक 14.11.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था तथा उपहार (क्रमशः तर्तन, चाँदी की पायल, विछुआ इत्यादि) की व्यवस्था हेतु आपकी संस्था को निर्देशित किया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-1066/स०क०/गु०सा०वि०यो०/2021-22 दिनांक 03.11.2021 के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 14.11.2021 को स्थगित किया जाता है। अग्रिम तिथि की सूचना जिलाधिकारी महोदय के निर्णय उपरान्त आपको अवगत करा दी जायेगी।

भवदीय



नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान लिपिक, स्वास्थ्य विभाग श्री कमल कपूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-1192/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार गठित समिति सदस्यों को अनुपालनार्थ।

Received

Dated 11-11-21

At 3.45 P.M.

S.P. Jaiswal.

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

5425/R/NSA/2021
18-11-2021

महत्वपूर्ण / ईमेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / छा0 परि0, आगरा।

पत्रांक C-1114 / स0क0 / मु0सा0वि0यो0 / 2021-22

दिनांक 12-11-2021

विषय—: “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्नक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-795 / स0क0 / विकास / मु0सा0वि0 / 2021-22 दिनांक 11 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 16.11.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1099 दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे पूर्व में अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी किसी भी स्तर से वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे पुनः अनुरोध है कि “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.11.2021 की सांय 4:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित करते हुए योजनान्तर्गत धनराशि की माँग की जा सके।

संलग्नक-पत्र एवं प्रारूप।

भवदीय

(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

S.K. Kapoor

18.11.21
NSA

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0) / प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

5423/P/NSA/2021

18/11/21

रजि. नं. AG-42157

340 INAL
12-11-21

9412372669, 6395241132, 8126970757

51/RIANA/21

16/11/21

चेतना सेवा समिति (रज.) आगरा

E-mail: chetnasevasamiti@gmail.com, info@chetnasevasamiti.com

कार्यालय : 10/16 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता
(चेयरमैन शारदा ग्रुप)

डा. रंजना बंसल

चेयरमैन अशोक ग्रुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल

(श्री ज्वेलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल

(चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)

पूरन डॉवर

(चेयरमैन-एफमैक)

शौकीन पवार

चेयरमैन- केक हाउस

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चीलाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

उपाध्यक्ष - पंजाबी सभा

सुरेश चन्द बिन्दल

जगनेर वाले

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

नवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

चेयरमैन-रतन प्रकाशन मन्दिर

राजेंद्र गुप्ता

बृजभोग मिष्ठान मण्डार

एस. के. गोयल

डायमण्ड डायरेक्टर -ओरिफ्लेम

शरद अग्रवाल

(ताजगंज वाले)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

महोदय,

चेतना सेवा समिति संजय प्लेस, आगरा द्वारा विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के कराती आ रही है। इस वर्ष 14 नवम्बर 2021 (देवतान एकादासी) को सामूहिक विवाह का आयोजन निश्चित किया गया है। दिनांक 23.10.2021 को नगर आयुक्त महोदय आगरा को 26 जोड़े के प्रपत्र प्राप्त कराये गये उसके पश्चात 14 जोड़े के मुख्य सामूहिक विवाह के प्रपत्र 09.11.2021 को नगर आयुक्त आगरा को प्राप्त कराये गये थे। उक्त 40 जोड़े की जांच नगर निगम आगरा द्वारा अपने सुपरवाइजर से कराई गई है।

समिति ने दिनांक 14.11.2021 को सामूहिक विवाह करने हेतु माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुंचया, आगरा बुक करा दिया था चेतना सेवा समिति द्वारा दि० 14.11.2021 में सामूहिक विवाह कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

आज दिनांक 11.11.2021 को शाम 3:45 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, आगरा का पत्रांक 1193/D/NSA/2021 दिनांक 11.11.21 समिति को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 14.11.21 को सामूहिक विवाह स्थगित करने की सूचना दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

सामूहिक विवाह स्थगित होने पर चेतना सेवा समिति की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समिति ने 53 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन विवाह कराने हेतु किया है। वर-वधुओं ने लगन, मंहदी, तेल चढ़ाई, आदि घरेलू औपचारिकता पूर्ण करली है यदि जोड़ों तथा उनके परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह स्थगित होने की सूचना मिलेगी तो उनमें बहुत आक्रोष उत्पन्न होगा। सम्भावना है कि अवाँछित तत्व उनसे मिलकर कोई अप्रिय कार्यवाही समिति कार्यालय, विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा पर करा सकते है।

चेतना समिति की स्थिति इस परिस्थिति में काफी शोचनीय हो गई। हैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी नगर निगम आगरा का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निर्धन कन्याओं उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि निर्धन, अल्पसंख्यक परिवारों का अहित नहीं हो सकें

संलग्न - १५२३१

प्रतिलिपि

1. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मा० मुख्यमंत्री महोदय उ०प्र० सरकार लखनऊ
3. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम आगरा
4. समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा।

भवदीय

S. P. Jaiswal

अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति, आगरा।

राजकुमार गुप्ता

कोषाध्यक्ष

मो. 7055482959

राकेश कुमार गुप्ता

महामंत्री

मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल

संस्थापक/अध्यक्ष

मो. 9412372669

11/11/21

451/R/NSA/2021
15/11/21

200/462102507



9412372669, 6395241132, 8126970757

चेतना सेवा समिति (रज.) आगरा

E-mail: chetnasevasamiti@gmail.com, info@chetnasevasamiti.com

कार्यालय : 10/16 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ोदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

3652/E नगर आयुक्त नगर निगम

दिनांक ...11.11.2021...

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

जिलाधिकारी

NSA

महोदय,

आगरा
11/11/21

MA
15-11-21

चेतना सेवा समिति संजय प्लेस, आगरा द्वारा विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के कराती आ रही है। इस वर्ष 14 नवम्बर 2021 (देवतान एकादासी) को सामूहिक विवाह का आयोजन निश्चित किया गया है। दिनांक 23.10.2021 को नगर आयुक्त महोदय आगरा को 26 जोड़े के प्रपत्र प्राप्त कराये गये उसके पश्चात 14 जोड़े के मुख्य सामूहिक विवाह के प्रपत्र 09.11.2021 को नगर आयुक्त आगरा को प्राप्त कराये गये थे। उक्त 40 जोड़े की जांच नगर निगम आगरा द्वारा अपने सुपरवाइजर से कराई गई है।

समिति ने दिनांक 14.11.2021 को सामूहिक विवाह करने हेतु माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुचया, आगरा बुक करा दिया था चेतना सेवा समिति द्वारा दि 14.11.2021 में सामूहिक विवाह कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

आज दिनांक 11.11.2021 को शाम 3:45 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर नियम, आगरा का पत्रांक 1193/D/NSA/2021 दिनांक 11.11.21 समिति को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 14.11.21 को सामूहिक विवाह स्थगित करने की सूचना दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

सामूहिक विवाह स्थगित होने पर चेतना सेवा समिति की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समिति ने 53 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन विवाह कराने हेतु किया है। वर-वधुओं ने लगन, मंहदी, तेल चढ़ाई, आदि घरेलू औपचारिकता पूर्ण करली है यदि जोड़ों तथा उनके परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह होने की सूचना मिलेगी तो उनमें बहुत आक्रोष उत्पन्न होगा। सम्भावना है कि अवांछित तत्व उनसे मिलकर कोई अप्रिय कार्यवाही समिति कार्यालय, विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा पर करा सकते है।

चेतना समिति की स्थिति इस परिस्थिति में काफी शोचनीय हो गई। हैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी नगर निगम आगरा का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निर्धन कन्याओं उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि निर्धन, अल्पसंख्यक परिवारों का अहित नहीं हो सकें

संलग्न - प्रपत्र

प्रतिलिपि

1. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मा0 मुख्यमंत्री महोदय उ0प्र0 सरकार लखनऊ
3. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम आगरा
4. समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा।

भवदीय
S.P. Jaiswal
अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति, आगरा।

राजकुमार गुप्ता
कोषाध्यक्ष
मो. 7055482959

राकेश कुमार गुप्ता
महामंत्री
मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल
संस्थापक/अध्यक्ष
मो. 9412372669

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता
(चेयरमैन शारदा ग्रुप)

डा. रंजना बंसल

चेयरमैन अशोक ग्रुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल

(श्री ज्वैलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल

(चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)

पूरन डॉवर

(चेयरमैन-एफमैक)

शौकीन पवार

चेयरमैन- केक हाउस

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चीलाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

उपाध्यक्ष - पंजाबी सभा

सुरेश चन्द बिन्दल

जगनेर वाले

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

नवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

चेयरमैन-स्तन प्रकाशन मन्दिर

राजेन्द्र गुप्ता

बृजमोग मिष्ठान भण्डार

एस. के. गोयल

डायमण्ड डायरेक्टर-ओरिपलेम

शरद अग्रवाल

(ताजगंज वाले)

442/100
12-11-2021

कार्यालय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 1193/D/NSA/2021

दिनांक :- 11/11/21

सेवा में,

मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) आगरा,
10/16 एस. कपड़ा मार्केट,
संजय प्लेस, आगरा।

विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभागीय पत्रांक-1190/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा दिनांक 14.11.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था तथा उपहार (क्रमशः वर्तन, चाँदी की पायल, विछुआ इत्यादि) की व्यवस्था हेतु आपकी संस्था को निर्देशित किया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-1066/स०क०/मु०सा०वि०यो०/2021-22 दिनांक 03.11.2021 के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 14.11.2021 को स्थगित किया जाता है। अग्रिम तिथि की सूचना जिलाधिकारी महोदय के निर्णय उपरान्त आपको अवगत करा दी जायेगी।

भवदीय


11.11.21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान लिपिक, स्वास्थ्य विभाग श्री कमल कपूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-1192/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार गठित समिति सदस्यों को अनुपालनार्थ।

Received

Date 11-11-21

At 3.45 P.M.

S.P. Jaiswal

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

5405

341/NA/L

2405/R/NSA/2021

12-11-21

17/11/2021

9412372669, 6305241122, 8126970757



चेतना सेवा समिति (रजि.) आगरा

कार्यालय : 10/16 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ोदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चौदनी चौक, आगरा फोन : 8562-4304405

3652/E

नगर आयुक्त - नगर निगम

दिनांक 11.11.2021

NSA

[Signature]

NA
12-11-21

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता
(चेयरमैन शारदा ग्रुप)

डा. रंजना बंसल

चेयरमैन अशोक ग्रुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल

(श्री ज्वेलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल

(चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)

पूरन डॉक्टर

(चेयरमैन-एफमैक)

शौकीन पवार

चेयरमैन- कोक हाउस

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चोवाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

उपाध्यक्ष - पंजाबी समाज

सुरेश चन्द विन्दल

जगनेर वाले

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

नवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

चेयरमैन-स्तन प्रकाशन मन्दिर

राजेन्द्र गुप्ता

बृजमोग मिष्ठान भण्डार

एस. के. गोयल

डायमण्ड डायरेक्टर - ऑरिफ्लेम

शरद अग्रवाल

(ताजमंज वाले)

S-10
17-11-21

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
आगरा।

महोदय,

चेतना सेवा समिति संजय प्लेस, आगरा द्वारा विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के कराती आ रही है। इस वर्ष 14 नवम्बर 2021 (देवदान एकदशी) को सामूहिक विवाह का आयोजन निश्चित किया गया है। दिनांक 23.10.2021 को नगर आयुक्त महोदय आगरा को 26 जोड़े के प्रपत्र प्राप्त कराये गये उसके पश्चात 14 जोड़े के मुख्य सामूहिक विवाह के प्रपत्र 09.11.2021 को नगर आयुक्त आगरा को प्राप्त कराये गये थे। उक्त 40 जोड़े की जांच नगर निगम आगरा द्वारा अपने सुपरवाइजर से कराई गई है।

समिति ने दिनांक 14.11.2021 को सामूहिक विवाह करने हेतु माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुंचया, आगरा बुक करा दिया था चेतना सेवा समिति द्वारा दि० 14.11.2021 में सामूहिक विवाह कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

आज दिनांक 11.11.2021 को शाम 3:45 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर नियम, आगरा का पत्रांक 1193/D/NSA/2021 दिनांक 11.11.21 समिति को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 14.11.21 को सामूहिक विवाह स्थगित करने की सूचना दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

सामूहिक विवाह स्थगित होने पर चेतना सेवा समिति की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समिति ने 53 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन विवाह कराने हेतु किया है। वर-वधुओं ने लगन, मंहदी, तेल चढ़ाई, आदि घरेलू औपचारिकता पूर्ण करली है यदि जोड़ों तथा उनके परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह स्थगित होने की सूचना मिलेगी तो उनमें बहुत आक्रोश उत्पन्न होगा। सम्भावना है कि अवांछित तत्व उनसे मिलकर कोई अप्रिय कार्यवाही समिति कार्यालय, विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा पर करा सकते है।

चेतना समिति की स्थिति इस परिस्थिति में काफी शोचनीय हो गई। है सामाजिक दृष्टिकोण से भी नगर निगम आगरा का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निर्धन कन्याओं उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि निर्धन, अल्पसंख्यक परिवारों का अहित नहीं हो सके

राजेन्द्र गुप्ता

प्रतिलिपि

1. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मा० मुख्यमंत्री महोदय उ०प्र० सरकार लखनऊ
3. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम आगरा
4. समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा।

भुवदीय

[Signature]

अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति, आगरा।

राजेन्द्र गुप्ता

कोषाध्यक्ष

मो. 7055482959

राजेश कुमार गुप्ता

महामंत्री

मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल

संस्थापक/अध्यक्ष

मो. 9412372669

स्तर क्रम 542

18-11-21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक - 10/NSA/2021

दिनांक - 11/11/21

सेवा में,

श्री 0 वतना सेवा समिति (रडिओ) आगरा,

10/16 एस, कपड़ा मार्केट,

संजय प्लेस, आगरा।


विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभागीय पत्रांक-1190/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा दिनांक 14.11.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था तथा उपहार (क्रमशः तर्तन, चाँदी की पायल, विछुआ इत्यादि) की व्यवस्था हेतु आपकी संस्था को निर्देशित किया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-1066/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 03.11.2021 के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 14.11.2021 को स्थगित किया जाता है। अग्रिम तिथि की सूचना जिलाधिकारी महोदय के निर्णय उपरान्त आपको अवगत करा दी जायेगी।

भवदीय


11.11.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान लिपिक, स्वास्थ्य विभाग श्री कमल कपूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-1192/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार गठित समिति सदस्यों को अनुपालनार्थ।

Received

Dated 11-11-21

At 3.45 P.M.

S.P. Jaiswal

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

5418/R/NSA/2021
17-11-2021

शिकायत संख्या : 40014621045855

आवेदक का विवरण:

नाम: सत्यप्रकाश जैसवाल

पिता/पति का नाम: श्यामलाल जैसवाल

आधार संख्या: ---

मोबाइल न.1: 9412372669

मोबाइल न.2:

ई-मेल आईडी: arunsharma151090@gmail.com

पता: 10/16 एस कपड़ा मार्केट बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे संजय प्लेस आगरा ।

आवेदन का प्रकार: शिकायत

आवेदन पत्र का ब्यौरा:

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा: सामूहिक विवाह समारोह को नगर स्वास्थ्य नगर निगम आगरा द्वारा स्थगित किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र ।

संदर्भ दिनांक: 11-11-2021

पूर्व सन्दर्भ
संख्या(यदि है तो):

विभाग: नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

सन्दर्भ श्रेणी: नगर निगम से सम्बंधित अन्य प्रकरण

स्रोत : ---

प्रकृति: ---

स्तर :

पद :

आवेदनकर्ता/शिकायत क्षेत्र का विवरण:

पता: जिला- आगरा

शिकायत की स्थिति:


प्रक्रियाधीन

अग्रसारित विवरण :

क्र.सं.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	प्राप्त/आपत्ति दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	11-11-2021	26-11-2021	जोनल अधिकारी-आगरा, नगर निगम		अनमार्क

S. K. Kapoor

17-11-21
NSA



चेतना सेवा समिति (रजि.) आगरा

E-mail: chetnasevasamiti@gmail.com, info@chetnasevasamiti.com

कार्यालय : 10/18 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

दिनांक ...11.11.2021.....

विशिष्ट शिरोमणि संरक्षक

वाई. के. गुप्ता
(चेयरमैन शारदा ग्रुप)

डा. रंजना बंसल

(चेयरमैन अशोक ग्रुप ऑफ कम्पनीज)

मोहनलाल अग्रवाल
(श्री ज्वेलर्स)

डॉ. वी.डी. अग्रवाल
(चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)

पूजन डॉवर

(चेयरमैन-एफमैक)

शीकरीन पवार

(चेयरमैन-केक हाउस)

विमल कुमार जैन

(हीरालाल बच्चीलाल)

सुशील चौहान

(एस.एल. पायल)

संजीव कपूर

(उपाध्यक्ष - पंजाबी सना)

सुरेश चन्द्र विन्दल

(जगनेर वाले)

प्रदीप कुमार जैन

(पी.एन.सी.)

जवीन जैन

(महापौर)

प्रेमचन्द जैन

(चेयरमैन-रतन प्रकाशन मन्दिर)

राजेन्द्र गुप्ता

(वृजभोग मिष्ठान मण्डार)

एस. के. गोयल

(डायमण्ड डायरेक्टर-ओरिफ्लेम)

शरद अग्रवाल

(ताजगंज वाले)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
आगरा।

महोदय,

चेतना सेवा समिति संजय प्लेस, आगरा द्वारा विगत कई वर्षों से सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के कराती आ रही है। इस वर्ष 14 नवम्बर 2021 (देवतान एकादासी) को सामूहिक विवाह का आयोजन निश्चित किया गया है। दिनांक 23.10.2021 को नगर आयुक्त महोदय आगरा को 26 जोड़े के प्रपत्र प्राप्त कराये गये उसके पश्चात 14 जोड़े के मुख्य सामूहिक विवाह के प्रपत्र 09.11.2021 को नगर आयुक्त आगरा को प्राप्त कराये गये थे। उक्त 40 जोड़े की जांच नगर निगम आगरा द्वारा अपने सुपरवाइजर से कराई गई है।

समिति ने दिनांक 14.11.2021 को सामूहिक विवाह करने हेतु माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुंघया, आगरा बुक करा दिया था चेतना सेवा समिति द्वारा दि० 14.11.2021 में सामूहिक विवाह कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है।

आज दिनांक 11.11.2021 को शाम 3:45 पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, आगरा का पत्रांक 1193/D/NSA/2021 दिनांक 11.11.21 समिति को प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 14.11.21 को सामूहिक विवाह स्थगित करने की सूचना दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

सामूहिक विवाह स्थगित होने पर चेतना सेवा समिति की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। समिति ने 53 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन विवाह कराने हेतु किया है। वर-वधुओं ने लगन, मंहदी, तेल चढ़ाई, आदि घरेलू औपचारिकता पूर्ण करली है यदि जोड़ों तथा उनके परिवार के लोगों को सामूहिक विवाह स्थगित होने की सूचना मिलेगी तो उनमें बहुत आक्रोष उत्पन्न होगा। सम्भावना है कि अर्वांचित तत्व उनसे मिलकर कोई अप्रिय कार्यवाही समिति कार्यालय, विवाह स्थल माथुर वैश्य महासभा पर करा सकते है।

चेतना समिति की स्थिति इस परिस्थिति में काफी शोचनीय हो गई। हैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी नगर निगम आगरा का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता है।

आपसे विनम्र अनुरोध है कि निर्धन कन्याओं उनके परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए सामूहिक विवाह कराने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ताकि निर्धन, अल्पसंख्यक परिवारों का अहित नहीं हो सके

सत्यप्रकाश - 9/11/2021

प्रतिलिपि

1. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मा० मुख्यमंत्री महोदय उ०प्र० सरकार लखनऊ
3. नगर आयुक्त महोदय नगर निगम आगरा
4. समाज कल्याण अधिकारी विकास भवन आगरा।

शुबदीय
S. P. Jaiswal
अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति, आगरा।

राजकुमार गुप्ता

(कोषाध्यक्ष)

मो. 7055482959

राकेश कुमार गुप्ता

महामंत्री

मो. 8126970757

सत्यप्रकाश जैसवाल

संस्थापक/अध्यक्ष

मो. 9412372669

R-CRS
स्कोर फॉर 242
17/11/21

कार्यालय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 1193/D/NSA/2021

दिनांक :- 11/11/21

सेवा में,

मै0 चेतना सेवा समिति (रजि0) आगरा,
10/16 एस, कपड़ा मार्केट,
संजय प्लेस, आगरा।


विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभागीय पत्रांक-1190/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा दिनांक 14.11.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था तथा उपहार (क्रमशः वर्तन, चाँदी की पायल, विछुआ इत्यादि) की व्यवस्था हेतु आपकी संस्था को निर्देशित किया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-1066/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 03.11.2021 के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 14.11.2021 को स्थगित किया जाता है। अग्रिम तिथि की सूचना जिलाधिकारी महोदय के निर्णय उपरान्त आपको अवगत करा दी जायेगी।

भवदीय


नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान लिपिक, स्वास्थ्य विभाग श्री कमल कपूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-1192/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार गठित समिति सदस्यों को अनुपालनार्थ।

Received

Date 11-11-21

At 3.45 P.M.

S.P. Jaiswal.

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा



आगरा नगर निगम

फोन : +91-562-2850670
फैक्स : +91-562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com
amcagra1@gmail.com

प्रेषक :

नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम आगरा।

सेवा में :

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
आगरा कैंन्ट, आगरा।

पत्रांक : 1223/D/NSA/2021

दिनांक : 17/11/21

विषय : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की जाँच के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निम्न आवेदन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं:-

क्र० सं०	आवेदिका का नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नम्बर
1.	प्रिया कुमारी	स्व० श्री अनिल	163बी, सुल्तानपुरा आगरा कैंन्ट, आगरा	6398058474
2.	शहनाज	श्री साविर	383 सुल्तानपुरा, आगरा कैंन्ट, आगरा	9456624864

उक्त आवेदन प्रपत्र छावनी परिषद क्षेत्र के हैं, कृपया यथाशीघ्र उक्त प्रपत्रों की संलग्न प्रारूप पर जाँच कराकर मूल प्रपत्र मय जाँच आख्या के साथ नगर निगम, आगरा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

17/11/21

17-11-21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

62

62

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत दिनांक 10.11.2021 तक पंजीकृत जोड़ों की वर्गवार संख्या जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रारूप - ख

क्रमांक	विकास खण्ड/नगरीय निकाय का नाम	दि०- 10.11.2021 तक अल्पसंख्यक वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	दि०- 10.11.2021 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक सामान्य वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक कुल पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	वांछित धनराशि	पूर्व की अवशेष/अतिरिक्त धनराशि का विवरण	अभ्युक्ति
1	आगरा नगर निगम	02	17	13	01	33	16.83 (सोलह लाख दियासी हजार मात्र)	-	

17.11.21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

16.11.21
17.11.21
17.11.21
17.11.21

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 10.11.2021 तक पंजीकृत जोड़ों की वर्गवार संख्या जिनकी विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रारूप - ख

क्रमांक	विकास खण्ड/नगरीय निकाय का नाम	दि०- 10.11.2021 तक अल्पसंख्यक वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक सामान्य वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।	दि०- 10.11.2021 तक कुल पंजीकृत जोड़ों संख्या, विवाह जाना प्रस्तावित है।	वांछित धनराशि	पूर्व की अवशेष/अतिरिक्त धनराशि का विवरण	अभ्युक्ति
1	आगरा नगर निगम	02	17	13	01	33	16.83 (सोलह लाख सिरासी हजार मात्र)	-	

17.11.21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

(Handwritten signature and date)
17.11.21



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1666/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 03/11/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि 18 नवम्बर 2021 को परिवर्तित किये जाने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में एक साथ कराया जाना प्रस्तावित है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली एक ही तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जाये तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली तिथि से शीघ्र ही जनपदों को अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में योजनान्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 16 नवम्बर 2021 परिवर्तित की जा रही है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर ही सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जाये तथा शासन स्तर से प्राप्त होने वाली तिथि से आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।

इसके साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 1004 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति/चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की मांग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु दिये गये दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

(प्रभु एन0 सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा

कार्यालय नगर निगम आगरा।


पत्रांक:- 1537/D)250/16/21

दिनांक:- 16/11/2021

नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय,

आपके पत्रांक सं० 1158/D/N.S.A/2021-22 दिनांक 23.10.2021 एवं 1184/D/N.S.A./2021 दिनांक 08.11.2021 तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मा० मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना 2021-22 के अन्तर्गत चेतना सेवा समिति (रजि०) द्वारा क्रमशः 26,14 व 3 कुल 43 अदद कन्याओं के विवाह सम्बन्धी प्रपत्र प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर सी०एस०एफ०आई०/एस०एफ०आई० की आख्या सहित कुल 43 मूल आवेदन पत्र सादर प्रेषित है।


जैड०एस०ओ० (मु०)
नगर निगम आगरा।

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

सेवामें,

1. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / छा0 परि0, आगरा।

पत्रांक C-1114 / स0क0 / मु0सा0वि0यो0 / 2021-22

दिनांक 12-11-2021

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्नक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी-795 / स0क0 / विकास / मु0सा0वि0 / 2021-22 दिनांक 11 नवम्बर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 16.11.2021 तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में है।

2- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-1004 दिनांक 25.10.2021 एवं पत्र संख्या 1066 दिनांक 03.11.2021 तथा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्र संख्या सी-1099 दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे पूर्व में अनुरोध किया गया है, किन्तु अभी किसी भी स्तर से वांछित सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः निदेशक महोदय एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आपसे पुनः अनुरोध है कि "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप दिनांक 25 नवम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 के मध्य होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या संलग्न निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 15.11.2021 की सायं 4:00 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे वांछित सूचना निदेशालय को प्रेषित करते हुए योजनान्तर्गत धनराशि की माँग की जा सके।

संलग्नक-पत्र एवं प्रारूप।

भवदीय



(सतीश कुमार)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी (स0क0) / प्रभारी सहायक विकास अधिकारी (स0क0) को इस निर्देश के साथ कि आप उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।


जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत एक वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किये जाने हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी0-742/स0क0/विकास/मु0स0वि0/2021-22 दिनांक 02.11.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किये जाने हेतु इच्छुक जोड़ों का पंजीकरण दिनांक 15 नवम्बर, 2021 तक कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में उल्लेख करना है कि आपके जनपद में चल वित्तीय वर्ष 2021-22 में सामूहिक विवाह हेतु आवंटित धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि तथा लाभान्वित जोड़ों की संख्या की अद्यतन प्रगति की सूचना (प्रारूप-क) पर उपलब्ध करायी जानी है। उक्त के अतिरिक्त सामूहिक विवाह हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत जोड़ों की वर्गवार संख्या प्रारूप-ख पर उपलब्ध करायी जानी है। सामूहिक विवाह हेतु पंजीकृत जोड़ों की संख्या के सापेक्ष वांछित धनराशि एवं जनपद स्तर पर विवाह हेतु अवशेष धनराशि का उल्लेख करते हुए मांगपत्र भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वयं समाधान कर लिया जाये कि सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले पंजीकृत जोड़ों में से किसी भी जोड़े द्वारा पूर्व में किसी भी प्रकार का विवाह सम्पन्न नहीं किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 10.11.2021 तक पंजीकृत जोड़ों जिनका विवाह अभी सम्पन्न नहीं हुआ है से संबंधित सूचना प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख पर भरकर दिनांक 16.11.2021 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


11/11/2021
(राकेश कुमार)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों का सतत अनुश्रवण करते हुए इच्छुक जोड़ों के पंजीकरण की सूचना संकलित कर दिनांक 16.11.2021 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(राकेश कुमार)
निदेशक।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनात्तर्गत दिनांक 10.11.2021 तक पंजीकृत जोड़ों की वर्गवार संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रारूप - ख

क्रमांक	विकास खण्ड/नगरीय निकाय का नाम	दि० 10.11.2021 तक अल्पसंख्यक वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	दि० 10.11.2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	दि० 10.11.2021 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	दि० 10.11. 2021 तक सामान्य वर्ग के पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	दि० 10.11. 2021 तक कुल पंजीकृत जोड़ों की संख्या, जिनका विवाह कराया जाना प्रस्तावित है	वांछित धनराशि	पूर्व की अवशेष/अतिरिक्त धनराशि का विवरण	अभ्युक्ति

(हस्ताक्षर)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनात्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 10.11.2021 तक सामान्वित जोड़ों की अद्यतन सूचना।

प्रारूप - क

क्रमांक	विकास खण्ड/नगरीय निकाय का नाम	अल्पसंख्यक वर्ग के विवाहित जोड़ों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के विवाहित जोड़ों की संख्या	अनुसूचित जाति के विवाहित जोड़ों की संख्या	सामान्य वर्ग के विवाहित जोड़ों की संख्या	कुल विवाहित जोड़ों की संख्या	आवृत्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष/ अतिरिक्त धनराशि	अभ्युक्ति

(हस्ताक्षर)

कार्यालय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 1193/D/NSA/2021

दिनांक :- 11/11/21

सेवा में,

मै० चेतना सेवा समिति (रजि०) आगरा,
10/16 एस, कपड़ा मार्केट,
संजय प्लेस, आगरा।

Received.
S.P. Jaiswal
11/11/21


विषय:- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विभागीय पत्रांक-1190/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा दिनांक 14.11.2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था तथा उपहार (क्रमशः वर्तन, चाँदी की पायल, विछुआ इत्यादि) की व्यवस्था हेतु आपकी संस्था को निर्देशित किया गया था।

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-1066/स०क०/मु०सा०वि०यो०/2021-22 दिनांक 03.11.2021 के दिशा निर्देशानुसार नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि 14.11.2021 को स्थगित किया जाता है। अग्रिम तिथि की सूचना जिलाधिकारी महोदय के निर्णय उपरान्त आपको अवगत करा दी जायेगी।

भवदीय


11.11.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. प्रधान लिपिक, स्वास्थ्य विभाग श्री कमल कपूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपरोक्त कार्यक्रम हेतु विभागीय पत्रांक-1192/D/NSA/2021 दिनांक 10.11.2021 के अनुसार गठित समिति सदस्यों को अनुपालनार्थ।


11/11/21


नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा

कार्यालय, नगर निगम, आगरा।

पत्रांक:- 1184/D/NSA/2021

दिनांक:- 08/11/2021

जैड0एस0ओ0 (मुख्यालय)

कृपया माननीय मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना 2021-22 के अन्तर्गत मै0 चेतना सेवा समिति (रजि0), आगरा द्वारा 14 अदद कन्याओं के विवाह सम्बन्धी प्रपत्र अपने पत्र दिनांक 08.11.2021 के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये गये है।

कृपया वार्ड वार्डज सम्बन्धित एस0एफ0आई0/सी0एस0एफ0आई0 से इन 14 अदद कन्याओं के प्रपत्रों की जाँच संलग्नक निर्धारित प्रारूप पर कराते हुए 03 दिन के अन्दर मूलरूप से वापस करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यक्रम मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके कारण उक्त कार्य को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

सैलमर :- पत्र प्रसार करे

08.11.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा।

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।

08/11/21

08.11.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, आगरा।

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :- 1190/D/NSA/2021

दिनांक :- 10-11-2021

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषय :-

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत शासन की मंशा के अनुरूप माह नवम्बर, 2021 के तृतीय पक्ष में अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर दिनांक 14 नवम्बर, 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त योजनान्तर्गत आपके कार्यालय पत्रांक 1004/स0स0/ मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25.10.2021 के क्रम में मै0 चेतना सेवा समिति (रजि0), आगरा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदनकर्ताओं द्वारा विभाग में प्राप्त कराये गये प्रपत्रों का आपके पत्र के द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार परीक्षण का कार्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि परीक्षणोपरान्त योग्य पाये गये जोड़ों के विवाह कार्यक्रम एवं चयनित जोड़ों की सूचना आपको प्रेषित कर दी जायेगी। अभी तक लगभग 40 जोड़ों के विवाह का कार्यक्रम होना प्रस्तावित है। 40 जोड़ों के विवाह नवम्बर, 2021 के तृतीय सप्ताह में होने की सम्भावना के दृष्टिगत 40 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम हेतु निर्धारित धनराशि नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें। नगर निगम, आगरा के बैंक खाते का विवरण निम्नवत् है :-

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	अनुमानित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग (रु0)	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या	बैंक का पता
नगर निगम, आगरा	40	20,40,000/-	14.11.2021	माथुर वैश्य भवन, पंचकुईया, आगरा	10033310034 SBIN0003707	नगर महापालिका, आगरा

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

प्रतिलिपि :-

- मुख्य विकास अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मै0 चेतना सेवा समिति (रजि0), आगरा को इस निर्देश के साथ कृपया विवाह के आयोजन की व्यवस्था एवं योग्य पाये गये प्रत्येक जोड़ों को नगर स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक सामग्री/उपहार (कमशः वर्तन, चांदी की पायल, बिछुआ आदि) की व्यवस्था कराते हुए अवगत कराने का कष्ट करें।
- यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88, हसरतगंज, लखनऊ को नगर स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार योग्य पाये गये प्रति जोड़ों को वस्त्रादि की व्यवस्था करने हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1016/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 03/11/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि 16 नवम्बर 2021 को परिवर्तित किये जाने तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में एक साथ कराया जाना प्रस्तावित हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली एक ही तिथि पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराया जाये तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी जाने वाली तिथि से शीघ्र ही जनपदों को अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में योजनान्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या 1004 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित दिनांक 16 नवम्बर 2021 परिवर्तित की जा रही है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के मध्य दी जाने वाली तिथि पर ही सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जाये तथा शासन स्तर से प्राप्त होने वाली तिथि से आपको शीघ्र ही अवगत कराया जायेगा।

इसके साथ ही पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 1004 दिनांक 25 अक्टूबर 2021 के द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति/चयन/जॉच/स्वीकृति/धनराशि की माँग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु दिये गये दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

(प्रभु एन0 सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोर्पोरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा

१५१/५५१०
२६/१०/२१

५२८/१/५५१/८८/२२
२९-१०-२०२१

महत्वपूर्ण



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक १००५/स०क०/मु०सा०वि०यो०/२०२१-२२

दिनांक २५/१०/२०२१

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय-: "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" शासन की मंशा अनुरूप माह नवम्बर २०२१ के तृतीय पक्ष में अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर दिनांक १६ नवम्बर २०२१ को सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा दिनांक २० अक्टूबर २०२१ को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

२- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह नवम्बर २०२१ में ५१००० जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु निदेशक महोदय द्वारा अधिक से अधिक जोड़ों के चयन/जाँच/स्वीकृति/तिथि निर्धारित किये जाने के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश बैठक में प्रदान किये गये हैं।

३- उक्त के संदर्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा द्वारा पूर्व में अपने पत्र संख्या सी-६४५ दिनांक २७.०८.२०२१ के माध्यम से आप सभी को माह नवम्बर २०२१ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने एवं जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जाँच/स्वीकृति हेतु अनुरोध भी किया गया है।

४- योजनान्तर्गत शासन की मंशानुरूप सामूहिक विवाह हेतु १६ नवम्बर २०२१ की तिथि निर्धारित करते हुए विकास खण्ड/नगरीय निकाय का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	लक्ष्य
१	विकास खण्ड अकोला	५०
२	विकास खण्ड बिचपुरी	५०
३	विकास खण्ड बरौली अहीर	५०
४	विकास खण्ड एत्मादपुर	५०
५	विकास खण्ड खन्दौली	५०
६	विकास खण्ड फतेहपुरसीकरी	५०
७	विकास खण्ड अछनेरा	५०
८	विकास खण्ड सैंया	५०
९	विकास खण्ड खेरागढ	५०
१०	विकास खण्ड जगनेर	५०
११	विकास खण्ड शमशाबाद	५०
१२	विकास खण्ड फतेहाबाद	५०
१३	विकास खण्ड बाह	५०
१४	विकास खण्ड जैतपुरकलॉ	५०
१५	विकास खण्ड पिनाहट	५०
योग		७५०

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	लक्ष्य
१	नगर निगम आगरा	१००
२	छावनी परिषद	१०
३	दयालबाग	०५
४	स्वामीबाग	०५
५	एत्मादपुर	०५
६	फतेहपुरसीकरी	०५
७	अछनेरा	०५
८	किरावली	०५
९	खेरागढ	०५
१०	जगनेर	०५
११	शमशाबाद	०५
१२	फतेहाबाद	०५
१३	बाह	०५
१४	पिनाहट	०५
योग		१७०

N.S.A

10/10/2021

03/11/2021

S.K. Kapoor

29-10-21

5- इसके साथ ही यदि योजनान्तर्गत किसी विकास खण्ड एवं नगरीय निकाय में लक्ष्यों के अतिरिक्त जोड़ों का चयन होता है, तो उन्हें भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये तथा मांग/सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को उपलब्ध कराये, जिससे कि योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशालय से की जा सके।

6- योजनान्तर्गत शासनादेश सं० 161/2017/44वी०आई०पी०/26-3-2017-4(188)/93 टी०सी० दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जांच/स्वीकृति/स्थल चयन/सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आप अधिकृत हैं।

7- इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आपके स्तर पर समिति भी गठित है।

8- उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत लक्ष्यों के अतिरिक्त अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह का आयोजन अपनी तहसील मुख्यालय के विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों/नगरीय निकाय को सम्मिलित करते हुए शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अपने स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराये।

9- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति में उपजिलाधिकारी, सदस्य के रूप में नामित हैं, अतएव सम्बंधित उपजिलाधिकारी अपने अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में उक्त कार्यक्रम कराये।

10- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि पर विवाह आयोजन हेतु अधिकृत शासकीय संस्थाएँ यथा नगरीय निगम, विकास खण्ड तथा नगरीय पालिका परिषद एवं नगरीय पंचायत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-

(i) सम्बंधित अधिकारीगण जोड़ों का चयन/गहन जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 10 नवम्बर 2021 की सांय तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे उनके द्वारा चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके।

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई० एफ०एस० कोड	बैंक का नाम एवं पता

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त मांग/सूचना के अनुसार तत्काल योजनान्तर्गत सम्बंधितों के खातों में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) योजनान्तर्गत 51000/- प्रति जोड़े के हिसाब से स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि आप द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की जायेगी।

(क) प्रत्येक कन्या के खाते में रू० 35000/- की दर से धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।

(ख) योजनान्तर्गत विवाहित जोड़ों को रू० 10000/- की दी जाने वाली आवश्क सामग्री में से यथा-वस्त्रादि हेतु रू० 3070/- प्रति जोड़े की दर से यू०पी० इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ से क्रय की जायेगी। इसके साथ ही रू० 6930/-प्रति जोड़े की दर से दी जाने वाली अन्य आवश्क सामग्री/उपहार (क्रमशः बर्तन, चांदी की पायल, बिछुआ, मोबाइल, कुकर, आदि) हेतु आप शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के बिन्दु संख्या (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार विवाह संस्कार की अन्य आवश्क सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय नियमों के तहत क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

h

(3)

- (ग) सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति जोड़ा रू0 6000/- की धनराशि आपके स्तर पर नियमानुसार व्यय की जानी है।
- (iv) योजनान्तर्गत वित्तीय 2021-22 में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को तत्काल प्रेषित किया जाये। इसके साथ ही योजनान्तर्गत शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें।
- (v) सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में जनपद के मा0 सांसदगण/विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 के सुरक्षात्मक मानकों (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर आदि) का पालन करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभु एस0सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा।



कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 1004/स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22 दिनांक 25/10/2021

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
4. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगरीय पालिका परिषद/नगरीय, पंचायत/छावनी परिषद, आगरा।

विषय—“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” शासन की मंशा अनुरूप माह नवम्बर 2021 के तृतीय पक्ष में अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर दिनांक 16 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हों कि निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक गूगल मीट के माध्यम से की गयी है।

2- निदेशक महोदय द्वारा बैठक के दौरान अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह नवम्बर 2021 में 51000 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस हेतु निदेशक महोदय द्वारा अधिक से अधिक जोड़ों के चयन/जाँच/स्वीकृति/तिथि निर्धारित किये जाने के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश बैठक में प्रदान किये गये हैं।

3- उक्त के संदर्भ में जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा द्वारा पूर्व में अपने पत्र संख्या सी-645 दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से आप सभी को माह नवम्बर 2021 में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने एवं जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जाँच/स्वीकृति हेतु अनुरोध भी किया गया है।

4- योजनान्तर्गत शासन की मंशानुरूप सामूहिक विवाह हेतु 16 नवम्बर 2021 की तिथि निर्धारित करते हुए विकास खण्ड/नगरीय निकाय का लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	लक्ष्य
1	विकास खण्ड अकोला	50
2	विकास खण्ड बिचपुरी	50
3	विकास खण्ड बरौली अहीर	50
4	विकास खण्ड एत्मादपुर	50
5	विकास खण्ड खन्दौली	50
6	विकास खण्ड फतेहपुरसीकरी	50
7	विकास खण्ड अछनेरा	50
8	विकास खण्ड सैंया	50
9	विकास खण्ड खेरागढ	50
10	विकास खण्ड जगनेर	50
11	विकास खण्ड शमशाबाद	50
12	विकास खण्ड फतेहाबाद	50
13	विकास खण्ड बाह	50
14	विकास खण्ड जैतपुरकलौं	50
15	विकास खण्ड पिनाहट	50
योग		750

क्रमांक	नगरीय निकाय का नाम	लक्ष्य
1	नगर निगम आगरा	100
2	छावनी परिषद	10
3	दयालबाग	05
4	स्वामीबाग	05
5	एत्मादपुर	05
6	फतेहपुरसीकरी	05
7	अछनेरा	05
8	किरावली	05
9	खेरागढ	05
10	जगनेर	05
11	शमशाबाद	05
12	फतेहाबाद	05
13	बाह	05
14	पिनाहट	05
योग		170

5- इसके साथ ही यदि योजनान्तर्गत किसी विकास खण्ड एवं नगरीय निकाय में लक्ष्यों के अतिरिक्त जोड़ों का चयन होता है, तो उन्हें भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये तथा मांग/सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को उपलब्ध करायें, जिससे कि योजनान्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशालय से की जा सके।

6- 'योजनान्तर्गत शासनादेश सं० 161/2017/44वी०आई०पी०/26-3-2017-4(188)/93 टी०सी० दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जांच/स्वीकृति/स्थल चयन/सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आप अधिकृत हैं।

7- इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आपके स्तर पर समिति भी गठित है।

8- उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत लक्ष्यों के अतिरिक्त अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह का आयोजन अपनी तहसील मुख्यालय के विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों/नगरीय निकाय को सम्मिलित करते हुए शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अपने स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न करायें।

9- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति में उपजिलाधिकारी, सदस्य के रूप में नामित हैं, अतएव सम्बंधित उपजिलाधिकारी अपने अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में उक्त कार्यक्रम करायें।

10- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि पर विवाह आयोजन हेतु अधिकृत शासकीय संस्थायें यथा नगरीय निगम, विकास खण्ड तथा नगरीय पालिका परिषद एवं नगरीय पंचायत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-

(i) सम्बंधित अधिकारीगण जोड़ों का चयन/गहन जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 10 नवम्बर 2021 की सांय तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे उनके द्वारा चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके।

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई० एफ०एस० कोड	बैंक का नाम एवं पता

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित अधिकारियों से प्राप्त मांग/सूचना के अनुसार तत्काल योजनान्तर्गत सम्बंधितों के खातों में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) योजनान्तर्गत 51000/- प्रति जोड़े के हिसाब से स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि आप द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की जायेगी।

(क) प्रत्येक कन्या के खाते में रू० 35000/- की दर से धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।

(ख) योजनान्तर्गत विवाहित जोड़ों को रू० 10000/- की दी जाने वाली आवश्यक सामग्री में से यथा-बस्त्रादि हेतु रू० 3070/- प्रति जोड़े की दर से यू०पी० इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि०, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ से क्रय की जायेगी। इसके साथ ही रू० 6930/-प्रति जोड़े की दर से दी जाने वाली अन्य आवश्यक सामग्री/उपहार (क्रमशः बर्तन, चांदी की पायल, बिछुआ, मोबाइल, कुकर, आदि) हेतु आप शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12 अक्टूबर 2017 के बिन्दु संख्या (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार विवाह संस्कार की अन्य आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय नियमों के तहत क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

- (ग) सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति जोड़ा रू0 6000/- की धनराशि आपके स्तर पर नियमानुसार व्यय की जानी है।
- (iv) योजनान्तर्गत वित्तीय 2021-22 में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को तत्काल प्रेषित किया जाये। इसके साथ ही योजनान्तर्गत शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें।
- (v) सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 16 नवम्बर 2021 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन में जनपद के मा0 सांसदगण/विधायकगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 के सुरक्षात्मक मानकों (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर आदि) का पालन करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभु एन0सिंह)
जिलाधिकारी
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।
6. प्रबंधक, यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोपरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ।

जिलाधिकारी
आगरा।

(परिशिष्ट-1)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के लिये)

प्रति-

1. खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत)

क्षेत्र पंचायत का नाम विकास खण्ड जनपद उ०प्र०।

2. नगर आयुक्त, नगर निगम, जनपद- आगरा।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद उ०प्र०।

विषय- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पत्नीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग-अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

1. आवेदिका का नाम

2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम

3. आवेदिका की माता का नाम

4. निवास का पता

5. आवेदिका की जन्मतिथि दिनांक माह वर्ष

6. आवेदिका की विवाह के समय आयु

7. जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक)

8. आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रु०)


(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9. परिवार की बी०पी०एल० कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10. बचत खाता

बैंक का नाम - शाखा का नाम खाता क्रमांक

आई०एफ०सी०कोड.....



कन्या का
पासपोर्ट साइज
फोटो

भाग-ब

वर का आधार कार्ड क्रमांक

11. वर का नाम

12. वर के पिता/अभिभावक का नाम

13. वर की माता का नाम

14. निवास का पता

15. वर की जन्मतिथि दिनांक माह वर्ष


16. विवाह के समय आयु

17. व्यवसाय एवं वार्षिक आय

18. बचत खाता

बैंक का नाम - शाखा का नाम खाता क्रमांक

आई०एफ०सी०कोड.....



वर का पासपोर्ट
साइज फोटो

गाग-स

19- विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी-

- (1) पूर्व पति का नाम
- (2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक
- (3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक
- (4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान

दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान

दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम

नोट-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :-

1. कन्या एवं वर की आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. गरीबी रेखा/निराश्रित/बीपीओएल0 कार्ड अथवा आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (दो लागू जायें)
3. कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो।
4. विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति।
6. कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पासबुक की छायाप्रति।
7. अनु0जाति/जनजाति/पिछडा वर्ग के व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

..... प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम -

पता -

दिनांक -

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
एवं नाम/पदनाम

(परिशिष्ट-3)

"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" जांच प्रतिवेदन (प्रारूप)

जांचकर्ता अधिकारी का नाम

पदनाम.....

जांच की दिनांक.....

1. आवेदिका का नाम
2. निवास का पूर्ण पता
3. आवेदिका के पिता का नाम
- आवेदिका की माता का नाम
4. निवास का पूर्ण पता.....
5. जन्मतिथि/आयु-
कन्या - दिनांक माह वर्ष विवाह दिनांक के दिन आयु
- वर - दिनांक माह वर्ष विवाह दिनांक के दिन आयु
6. आवेदक परिवार की आय के स्रोत एवं वार्षिक आय (रु०)
7. परिवार बी०पी०एल० श्रेणी में आता है, तो वार्ड क्रमांक एवं दिनांक.....
8. आवेदिका विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की है, तो उसका विवरण

जांच अधिकारी की टीप-

(अ)-जांच अधिकारी का विवाह के सम्बंध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नहीं/कन्या बी०पी०एल० कार्डधारी है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जाय.....

(ब)-जांच उपरान्त आवेदिका अपात्र पाये जाने पर मुख्य कारण अंकित करें.....

दिनांक-

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर



एवं मुहर

(परिशिष्ट-4)
उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

पंजीयन संख्या.....

दिनांक.....

—:“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत” सम्पन्न विवाह का प्रमाण पत्र—



सौभाग्य कु० पुत्री श्री
निवासी..... का विवाह
श्री..... पुत्र श्री
निवासी.....

के साथ “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत स्थान
में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिनांक को सम्पन्न हुआ।
नव दम्पति के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान—

दिनांक—

(हस्ताक्षर)

ग्रामीण क्षेत्र/नगरीय निकाय का नाम एवं मुहर
जनपद आगरा, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम आगरा


पत्रांक: 1192/D/N-5A/2021

दिनांक: 10-11-2021

कृपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत दिनांक 14.11.2021 को माथुर वैश्य महासभा भवन, पंचकुईया पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन, व्यवस्था तथा विभाग द्वारा चयनित जोड़ों को निर्धारित सामग्री अपनी देखरेख में प्राप्त कराये जाने हेतु निम्नानुसार कर्मचारियों की समिति गठित की जाती है।


क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं.
1	श्री सुनील कुमार वशिष्ठ	वरिष्ठ लिपिक	7300740681
2.	श्री अनिल कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	7300740638
3.	श्री नरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	8077294470
4.	कु0 शालिनी	कनिष्ठ लिपिक	8433235228
5.	श्रीमती अलमास	कम्प्यूटर ऑपरेटर	6398670330

कृपया उपरोक्त समिति अपनी देखरेख में समस्त कार्यक्रम विधिपूर्वक सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करेगी।


10.11.21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

प्रतिलिपि—

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा

कार्यालय नगर निगम आगरा

पत्रांक: 1158/D/NSA/2021-22

दिनांक: 23/10/21

जेड0एस0ओ0 (मुख्यालय) 25/10/21

कृपया माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2021-22 के अन्तर्गत चेतना सेवा समिति (रजि0) द्वारा 26 अदद कन्याओं के विवाह सम्बन्धी प्रपत्र अपने पत्र 23.10.2021 के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये गये हैं।

कृपया वार्ड वार्डज सम्बन्धित SFI/CSFI से इन 26 कन्याओं के प्रपत्रों की जाँच संलग्नक निर्धारित प्रारूप पर कराते हुए 3 दिन के अन्दर मूलरूप से वापस करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके कारण उक्त कार्य को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित करें।

23/10/21
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम आगरा
ok

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम) महोदय को सादर सूचनार्थ।

25/10/21

25/10/21

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
n/c नगर निगम आगरा

NSA Sir

मेरे द्वारा पतावली 23/10/21 एवं 25/10/21 को 250 (मु0) महोदय के पास ले0र गया परन्तु उनके द्वारा पतावली लेने लेचना कर दिना 21/10/21 इमरी वार के माटर सिटने पतावली लेने से बना कर दिया।
25/10/21

चेतना सेवा समिति (रजि.) आगरा

E-mail: chetnasevasamiti1@gmail.com info@chetnasevasamiti.com

कार्यालय : 10/16 एस, कपड़ा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, संजय प्लेस, आगरा
रजि. ऑफिस : 42/4, बल्केश्वर कॉलोनी, चाँदनी चौक, आगरा फोन : 0562-4304405

दिनांक 23-10-2021

सेवा में,
माननीय नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, आगरा।

महोदय,

चेतना सेवा समिति का सामूहिक विवाह 14 नवम्बर 2021 में पंडितों के अनुसार शुभ मुहूर्त में माथुर वैश्य महासभा भवन पचकुईया पर आयोजित किया जायेगा।

आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि गरीब कन्याओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत लाभ मिल सके।

कृपया निम्नलिखित 26 प्रपत्रों को अवलोकन करके जांच करने की कृपा करें। समिति ने 51 जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य रखा है। 26 जोड़ों को फॉर्म इस पत्र के साथ संलग्न हैं। शेष जोड़े पूर्ण होने के बाद आगे प्रेषित कर दिये जायेंगे।

26 फॉर्म पत्र के साथ
संलग्न हैं।

भवदीय

S. P. Jaiswal

सत्य प्रकाश जैसवाल
अध्यक्ष

चेतना सेवा समिति
संजय प्लेस, आगरा

- वर्द्ध के. गुप्ता
(चेयरमैन-साल्ट ग्रुप)
- डा. संजना बंसल
(चेयरमैन-उरुगुड ग्रुप ऑफ कम्पनीज)
- मोहनलाल अग्रवाल
(श्री ज्वेलर्स)
- डॉ. पी.डी. अग्रवाल
(चेयरमैन पुष्पांजलि ग्रुप)
- पूजन डॉवर
(चेयरमैन-एफमैक)
- शौकीन पवार
(चेयरमैन-केक हाउस)
- विमल कुमार जैन
(हीरालाल बच्चीलाल)
- सुशील चौहान
(एस.एल. पायल)
- संजीव कपूर
(अध्यक्ष - पंजाबी सभा)
- सुरेश चन्द बिन्दल
(जगनेर वाले)
- प्रदीप कुमार जैन
(पी.एन.सी.)
- नवीन जैन
(महापौर)
- प्रेमचन्द जैन
(चेयरमैन-स्तन प्रकाशन मन्दिर)
- राजेन्द्र गुप्ता
(बृजभोग मिष्ठान भण्डार)
- एस. के. गोयल



कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक 606/NA/10 /स0क0/मु0सा0वि0यो0/2021-22

दिनांक 13/9/21

1. खण्ड विकास अधिकारी,
बरौली अहीर, अकोला, पिनाहट,
जनपद-आगरा।
2. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम - आगरा।

606/NA/10
20/9/21

विषय-: चल वित्तीय वर्ष 2021-22 में "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" दिनांक 20 सितम्बर 2021 तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या सी-707 दिनांक 10.09.2021 एवं पत्र संख्या 612 दिनांक 19.08.2021 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या सी-338 दिनांक 02.07.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम योजनान्तर्गत लक्ष्यों अनुरूप सामूहिक विवाह कराये जाने हेतु आपको दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु आपके द्वारा अभी तक योजनान्तर्गत प्राप्त कराये गये लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है। जिस कारण योजनान्तर्गत जनपद की रैंकिंग (बी) श्रेणी में होने के कारण शासन एवं उच्चाधिकारियों के स्तर से अपेक्षित प्रगति हेतु दिशा-निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे हैं।

2- योजनान्तर्गत शासनादेश सं० 161/2017/44 वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93टी0 सी0 दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जांच/स्वीकृति/विवाह तिथि/स्थल चयन/सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आप अधिकृत हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आपके स्तर पर समिति भी गठित है।

3- योजनान्तर्गत उच्चाधिकारियों द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2021 से पूर्व सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने हेतु आपको पूर्व में निर्देश प्रदान किये गये हैं तथा चयनित जोड़ों की सूचना/मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये लक्ष्यों के अनुरूप एवं दिशा-निर्देशानुसार जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20 सितम्बर 2021 से पूर्व कराने का कष्ट करें, जिससे कि लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

इसके साथ ही योग्य जोड़ों का चयन/जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर पात्र/स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 15 सितम्बर 2021 की अपराह तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई0 एफ0एस0 कोड	बैंक का नाम एवं पता

आवश्यक कार्यवाही हेतु

NSA

SK
Kopar
1
25-9-21NA
20-9-21

(लक्ष्मी एन0)

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट(IAS)/
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आप भी अपने स्तर से जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(लक्ष्मी एन0)

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट(IAS)/
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
आगरा।



कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद-आगरा।

पत्रांक ८४०७ / स०क० / मु०सा०वि०यो० / 2021-22

दिनांक 10/9/22

1. खण्ड विकास अधिकारी,
बरौली अहीर, अकोला, पिनाहट,
जनपद-आगरा।
2. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम - आगरा।

NSA

NA
20-9-21

विषय-: चल वित्तीय वर्ष 2021-22 में "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत" दिनांक 20 सितम्बर 2021 तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या सी-126 दिनांक 29.05.2021 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 612 दिनांक 19 अगस्त 2021 एवं पत्र संख्या सी-250 दिनांक 19 जून 2021 तथा पत्र संख्या सी-230 दिनांक 16 जून 2021 एवं पत्र संख्या सी-338 दिनांक 02 जुलाई 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत माह जून 2021 एवं माह जुलाई 2021 तथा माह अगस्त 2021 के द्वितीय पक्ष में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- किन्तु उक्त के परिपालन में विकास खण्ड बरौली अहीर, अकोला, पिनाहट एवं नगर निगम आगरा के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है, जिस कारण योजनान्तर्गत जनपद (बी) श्रेणी में है। इससे स्पष्ट होता है कि आप द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

3- योजनान्तर्गत शासनादेश सं० 161/2017/44 वी०आई०पी०/26-3-2017-4(188)/93टी० सी० दिनांक 12.10.2017 के प्रस्तर (ख), (छ), (ज) में निहित प्राविधान के अनुसार जोड़ों के चयन/पंजीकरण/जांच/स्वीकृति/विवाह तिथि/स्थल चयन/सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आप अधिकृत हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु आपके स्तर पर समिति भी गठित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक माह सितम्बर 2021 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अधिक से अधिक जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20 सितम्बर 2021 तक कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इसके साथ ही योग्य जोड़ों का चयन/जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर पात्र/स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 15 सितम्बर 2021 की अपराह तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे उनके द्वारा चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मॉग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई० एफ०एस० कोड	बैंक का नाम एवं पता
आगरा ①	②					

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आप भी अपने स्तर से जोड़ों का चयन कर सामूहिक विवाह के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(एमनिकन्डन)
मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।

मुख्य विकास अधिकारी,
आगरा।

10.09.22

व्ययिकासी न्यायेत करते हुए आप द्वारा अपने पत्र संख्या नीमो दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से
 निम्नलिखित निम्न निषेधन के अनुसार मूल्य सहित सामग्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

क्र०	सामग्री का नाम	दर/मूल्य ₹0
1	कुकर यूगाईटेड 3 लीटर	1150 / -
2	सीवाइल नोमिया	1200 / -
3	मेकअप किट (16 आइटम)	500 / -
4	डिनर सेट स्टील (51 आइटम)	2400 / -
S.W-06	एक जोड़ी पायल एव दो जोड़ी बिछुआ (55 टच शुद्धता एवं 44 ग्राम नाम)	1680 / -
कुल योग		6930 / -

विद्यत बधिकारी पालेसन के काम में आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्मिलित सामग्री व तत्सापेक्ष
 बापठ निमित्त मूल्य का अनुमान जनपद स्तरीय गठित क्रम समिति एवं अनुश्रवण समिति द्वारा
 कर्तव्य पत्र संख्या सी 585 दिनांक 03.07.2019 के माध्यम से प्रदान किया गया है।

(2)

6- उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु माह जून के द्वितीय पक्ष में सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये जाने सम्बंधी आप अपने स्तर से शुभ लग्न की तिथि निर्धारित कर दिये गये लक्ष्यों अनुसार सामूहिक विवाह का आयोजन अपनी तहसील मुख्यालय के विकास खण्ड में अन्य विकास खण्डों/नगरीय निकाय को सम्मिलित करते हुए शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अपने स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराये।

7- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा गठित जनपद स्तरीय समिति में उपजिलाधिकारी, सदस्य के रूप में नामित हैं, अतएव सम्बंधित उपजिलाधिकारी अपने अनुश्रवण/पर्यवेक्षण में उक्त कार्यक्रम कराये।

8- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि पर विवाह आयोजन हेतु अधिकृत शासकीय संस्थायें यथा नगर निगम, विकास खण्ड तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें-

(i) सम्बंधित अधिकारीगण जोड़ों का चयन/जांच/स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण कर स्वीकृत जोड़ों की सूची एवं कार्यक्रम स्थल की सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 15 जून 2021 की साय तक अवश्य प्राप्त करा दें। जिससे उनके द्वारा चयनित जोड़ों पर व्यय होने वाली धनराशि आपके खातों में स्थानान्तरित की जा सके।

विकास खण्ड का नाम/नगरीय निकाय का नाम	चयनित जोड़ों की संख्या	धनराशि की मांग	विवाह हेतु निर्धारित तिथि	विवाह स्थल का विवरण	बैंक खाता संख्या/आई0 एफ0एस0 कोड	बैंक का नाम एवं पता
--------------------------------------	------------------------	----------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------

(ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी प्राप्त मांग/सूचना के अनुसार तत्काल योजनान्तर्गत सम्बंधितों के खातों में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) योजनान्तर्गत 51000/- प्रति जोड़े के हिसाब से स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि आप द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार व्यय की जायेगी।

(क) प्रत्येक कन्या के खाते में रू0 35000/- की दर से धनराशि स्थानान्तरित की जानी है।

(ख) योजनान्तर्गत विवाहित जोड़ों को रू0 10000/- की दी जाने वाली आवश्यक सामग्री में से यथा-वस्त्रादि हेतु रू0 3070/- प्रति जोड़े की दर से यू0पी0 इण्डस्ट्रीयल कोर्पोरेटिव एसोसिएशन लि0, क्षेत्रीय कार्यालय 88 हजरतगंज, लखनऊ से क्रय की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत् है-

हिन्दु विवाह हेतु

क्रमांक	विवरण	मूल्य (रू0 में)
1	1 साडी कढ़ाई मैरून कलर (5.5 मीटर ब्लाउज)	1590/-प्रति
2	1 पेटीकोट (2.25 मीटर)	150/-प्रति
3	1 चुनरी मैरून कढ़ाई (2.25 मीटर)	490/-प्रति
4	दूल्हा हेतु पेंट (1.20 मीटर) एवं शर्ट (2.25 मीटर)	690/-प्रति
5	भांवर हेतु फेटा (2.5 मीटर सफेदधुलाबी)	150/-प्रति
प्रति विवाह हेतु कुल योग		3070/-प्रति

मुस्लिम विवाह हेतु

क्रमांक	विवरण	मूल्य (रू0 में)
1	1 सूट कढ़ाई मैरून कलर (5मीटर) एवं दुपट्टा (2.25मीटर)	1490/-प्रति
2	1 चुनरी मैरून कढ़ाई (2.25 मीटर)	490/-प्रति
3	1 सूट कपडा प्रिंटेड डेली वियर (5 मीटर)	400/-प्रति
4	दूल्हा हेतु पेंट (1.20 मीटर) एवं शर्ट (2.25 मीटर)	690/-प्रति
प्रति विवाह हेतु कुल योग		3070/-प्रति

इसके साथ ही रू0 6930/-प्रति जोड़े की दर से दी जाने वाली अन्य आवश्यक सामग्री/उपहार (क्रमशः बर्तन, चादी की पायल, बिछुआ आदि) हेतु आप शासनादेश संख्या 161/2017/44 वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93 टी.सी. दिनांक 12.10.2017 के विन्दु संख्या (ख) में उल्लिखित दिशा-निर्देशानुसार विवाह संस्कार की अन्य आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर क्रय नियमों के तहत क्रय करें।

(3)

- (ग) सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था हेतु प्रति जोड़ा रू० 6000/- की धनराशि आपके स्तर पर नियमानुसार व्यय की जानी है।
- (iv) योजनान्तर्गत वित्तीय 2020-21 में प्राप्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी आगरा को तत्काल प्रेषित किया जाये। इसके साथ ही योजनान्तर्गत शासनादेश में निहित प्राविधान अनुसार अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित करें।
- (v) सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तर प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत माह जून 2021 के द्वितीय पक्ष की तिथि निर्धारित कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर लक्ष्य अनुरूप चयनित जोड़ों का सामूहिक विवाह कोविड-19 के सुरक्षात्मक मानकों (सोशल डिस्टेंशिया, मास्क, सेनिटाइजर आदि) का पालन करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम उपजिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रभु एन०सिंह)
जिलाधिकारी
01/06/2021 आगरा।

पृष्ठांकन संख्या एवं तददिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
3. समस्त उपजिलाधिकारी, आगरा।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा।

जिलाधिकारी
01/06/2021 आगरा।

संख्या-161/2017/44वी.आई.पी./26-3-2017-4(188)/93टी.सी.

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ०प्र०, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ:दिनांक: 12 अक्टूबर, 2017

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर, कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालों लोगों को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म-समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (क) उक्त योजनान्तर्गत पात्रता की शर्तें निम्नवत् होंगी-
- (i)- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- (ii)- कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो।
- (iii)- आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए या जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया हो, कि लाभार्थी की स्थिति नितान्त दैनिकीय एवं वंचित हो।
- (iv)- विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

(v)-निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह।

(vi)-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii)-विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(ख) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थायें अधिकृत होंगी:-

(i)-नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम)

(ii)-क्षेत्र पंचायत।

(iii)-जिला पंचायत।

(iv)-ऐसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थायें/स्वैच्छिक संस्थायें (एन0जी0ओ0) जिन्हें जिले के जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जायेगा।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा एक विवाह कार्यक्रम समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा ही विवाह कार्यक्रम के लिये स्थल चयन, टेन्ट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, विवाह संस्कार, अतिथियों के लिये सत्कार आदि की व्यवस्था करेगी।

समिति विवाह कार्यक्रम के लिये तिथि निर्धारित करेगी और उसके आने वाले क्षेत्र में तिथि व कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करेगी।

(ग) उक्त योजना हेतु व्ययभार निम्नवत् होगा:-

(i)-कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया-20,000/- (बीस हजार मात्र) कन्या के खाते में अंतरित की जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में सहायता राशि रूपया-25,000/- (रूपया पच्चीस हजार मात्र) होगी।

(ii)-विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चाँदी के तथा 07 बर्तन) रूपया-10000/- (रूपया दस हजार मात्र) किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामलों में यह धनराशि रूपया-5000/-होगी। (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा)।

(iii)-कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु रूपया-5,000/- प्रति जोडा ग्रामीण/शहरी निकाय स्तर पर गठित विवाह समिति को दिया जायेगा।

(iv)-एक जोड़े पर कुल रूपया-35,000/- (रु० पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि का व्ययभार आयेगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होंगे।

(v)-सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु गठित 'विवाह समिति' स्वयंसेवी संस्थाओं तथा समाज के सभ्रात व्यक्तियों से भी दान स्वरूप धनराशि प्राप्त कर सकती हैं, जिसका विवरण सम्बन्धित विवाह समिति द्वारा पृथक से रखा जायेगा।

(vi)-निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जायेगा। जनपद स्तर से धनराशि का निकार्यों को स्थानान्तरण जिलाधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा।

(घ) योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का औसत लक्ष्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जायेगा। शासन द्वारा जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जिले के अन्तर्गत आने वाले उपरोक्त निकार्यों हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा। जिले की कुल जनसंख्या अथवा सामूहिक विवाह हेतु उपलब्ध आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर भौतिक लक्ष्य में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित क्रय नियम के अन्तर्गत आरक्षित सूची से हटकर अन्य सामग्री क्रय किये जाने तथा कार्यक्रम के आयोजन पर किये जाने वाले व्यय जो अनिवार्य रूप से किया जाना है, के लिये जिलाधिकारी प्रति वर्ष अपने जिले के लिए दरें निर्धारित कर सकेंगे। दरों का निर्धारण शासकीय नियमों में दी गई प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। इस हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
जिला कार्यक्रम अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त गठित समिति में 02 महिला अधिकारी सम्मिलित होंगी। उपरोक्त पदों के सापेक्ष महिला अधिकारी न होने की स्थिति में जिलाधिकारी, जिले के महिला अधिकारियों को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे, जो कन्या के लिये क्रय की जाने वाली सामग्री के चयन के विकल्प और गुणवत्ता पर सुझाव दे सकें।

(च) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार अनुदान संख्या-80 के सुसंगत लेखाशीर्षक में आवश्यक धनराशि का आय-व्ययक प्राविधान किया जायेगा।

(छ) सामूहिक विवाह हेतु पंजीकरण तथा आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(i)-सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लडकों (वर) को संयुक्त रूप से पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप (ग्रामीण क्षेत्र हेतु

परिशिष्ट-1 पर एवं नगरीय क्षेत्र हेतु परिशिष्ट-2) पर समस्त संलग्नकों सहित ऑफलाइन आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 45 दिन पूर्व करना होगा।

(ii)-आवेदन पत्र के अलावा विवाह पंजीयन हेतु कन्या व वर को 02-02 प्रति फोटो पृथक से देना अनिवार्य होगा।

(iii)-निर्धारित आवेदन पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा कराये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद आवेदक को सम्बन्धित निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(iv)-आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित निकायों द्वारा आवेदकों की पात्रता का सत्यापन निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-3 पर कराया जायेगा।

(v)-अपरिहार्य कारणों से यदि ऐसे आवेदक जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम को 01-02 दिन पहले ही आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनको सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय सम्बन्धित निकाय स्वयं लेगी।

(vi)-विवाह कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त सम्बन्धित निकाय द्वारा वर-वधु को विवाह का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप परिशिष्ट-4 पर दिया जायेगा।

(vii)-विवाह समिति द्वारा कन्यादान के रूप में वर-वधु को दी जाने वाली सामग्री परिशिष्ट-5 पर प्राप्ति रसीद के रूप में प्राप्त करायी जायेगी।

(ज) उक्त योजना हेतु अनुदान स्वीकृत के लिये ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा शहर क्षेत्रों हेतु 'नगर आयुक्त/नगर निगम अथवा अधिशासी अधिकारी' नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अधिकृत होंगे।

(झ) "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत आमंत्रित करने की प्रक्रिया के सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
नगर आयुक्त/अपर मुख्य अधिकारी (जि.प.), अधिशासी अधिकारी	सदस्य
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत	
समस्त उपजिलाधिकारी	सदस्य
समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति समय-समय पर बैठक कर योजना का अनुश्रवण करेगी तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगी।

- (ट) इस सम्बन्ध में अभिलेखों का रख-रखाव अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा:-
- (i)-योजनान्तर्गत अभिलेखों का रख-रखाव ग्रामीण क्षेत्र में अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय निकाय में नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा किया जायेगा।
- (ii)-योजनान्तर्गत 05 वर्ष तक का रिकार्ड/अभिलेख सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iii)-उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित/लाभान्वित किये गये लाभार्थियों का पूर्ण विवरण डी0वी0डी0/डिजिटल रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 05 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- (iv)-वर्ष के अन्त में जो धनराशि अनुपयुक्त रहेगी उसकी सूचना तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के अनुमोदन से अन्य निकायों को धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।
- (ठ) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि और उनके द्वारा किये गये व्यय आदि का लेखापरीक्षण (आडिट) महालेखाकार से प्रतिवर्ष कराया जायेगा। आडिट हेतु स्थानीय निकायों के सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित निकायों द्वारा कराये गये आडिट की प्रति जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी।
- (ड) योजना का प्रचार-प्रसार जिलाधिकारी एवं जिन निकायों में विवाह आयोजित किये जाने हैं, के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पम्पलेट और बैनर भी लगाकर किया जा सकता है।
- (ढ) अन्य बिन्दु:
- (i)-उक्त योजना के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होगा।
- (ii)-प्रथम चरण में योजनान्तर्गत आफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने/सहायता स्वीकृत एवं उपरोक्तानुसार भुगतान कर सामूहिक विवाह योजना का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा तथा भविष्य में उक्त योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य सूचना विज्ञान इकाई, उत्तर प्रदेश के सहयोग से साफ्टवेयर विकसित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आदि आमंत्रित करने आदि की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने पर तदनुसार अलग से निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- (iii)-वर या कन्या के परिवार से किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जायेगा। विवाह निःशुल्क होगा।
- (iv)-वर एवं वधू की निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होने की स्थिति में बाल विवाह अधिनियम के अन्तर्गत वर-वधू के दोषी माता-पिता अथवा अभिभावक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(v)-"मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत लाभान्वित जोड़े अन्य विभागों द्वारा अन्तर्जातीय, अन्तर्धार्मिक अथवा इस निमित्त दी जाने वाली अन्य प्रोत्साहनात्मक योजनान्तर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि की भी पात्रता रखेंगे।

(vi)- प्रश्नगत योजना के नियमों में यथावश्यक संशोधन करने की शक्ति मा० मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।

(vii)- प्रश्नगत योजनान्तर्गत विवाह का पंजीकरण वैवाहिक स्थल पर किया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव।

संख्या-161/2017/44वी.आई.पी.(1)/26-3-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3-प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4-प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5-निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ०प्र०।
- 6-समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 7-समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8-समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 9-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
- 10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उ०प्र०।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु (परिशिष्ट-2)
आवेदन पत्र का प्रारूप (नगरीय क्षेत्र के लिये)

प्रति

नगर आयुक्त,
नगर निगम..... जनपद.....

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... जनपद..... उत्तर प्रदेश।

विषय- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग-अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

1- आवेदिका का नाम

2- आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम

3- आवेदिका की माता का नाम

4- निवास का पता

5- आवेदिका की जन्म तिथि दिनांक माह वर्ष

6- आवेदिका की विवाह के समय आयु

7- जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक).....

8- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रु०).....

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9- परिवार का बीपीएल कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10- बचत खाता

बैंक का नाम - शाखा का नाम खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

आवेदिका का
पासपोर्ट साइज
फोटो

भाग-ब-

वर का आधार कार्ड क्रमांक

11- वर का नाम

12- वर के पिता/अभिभावक का नाम

13- वर की माता का नाम

14- निवास का पता

15- वर की जन्म तिथि दिनांक माह वर्ष

16- विवाह के समय आयु

17- व्यवसाय एवं वार्षिक आय

18- बचत खाता

बैंक का नाम : शाखा का नाम खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

वर का पासपोर्ट
साइज फोटो

भाग-स

19- विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी -

- (1) पूर्व पति का नाम
- (2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक
- (3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक
- (4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान

दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान

दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम

नोट :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :-

- 1- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 2- गंरीबी रेखा/निराश्रित/बीपी०एल० कार्ड की छायाप्रति,
- 3- कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो
- 4- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 5- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति
- 6- कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पास बुक की छायाप्रति।

प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम:-

पता-

दिनांक:-

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
एवं नाम/पदनाम

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत जाँच प्रतिवेदन (प्रारूप)

(परिशिष्ट-3)

जाँचकर्ता अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

जाँच का दिनांक.....

1- आवेदिका का नाम:-

2- निवास का पूर्ण पता:-

3- आवेदिका के पिता का नाम:-

माता का नाम:-

माता/पिता के न होने पर अतिमावक का नाम:-

4- निवास का पूर्ण पता:-

5- जन्म तिथि/आयु:-

कन्या- दिनांक माह वर्ष

वर- दिनांक माह वर्ष

विवाह दिनांक के

दिन आयु

विवाह दिनांक के

दिन आयु

6- आवेदक परिवार के आय के स्रोत और वार्षिक आय:-

7- परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है तो कार्ड क्रमांक व दिनांक:-

8- आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरण:-

जाँच अधिकारी की टीम:-

(अ)- जाँच अधिकारी का विवाह के सम्बन्ध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नहीं/कन्या बीपीएल कार्डधारी है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जाय.....

(ब)- जाँच उपरान्त कन्या अपात्र पाये जाने पर मुख्य कारण अंकित करें.....

दिनांक:-

जाँच अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

(परिशिष्ट-1)

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप (ग्रामीण क्षेत्र के लिये)

प्रति

खण्ड विकास अधिकारी,
क्षेत्र पंचायत का नाम..... विकास खण्ड..... जनपद.....उ०प्र०।
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत..... जनपद.....उ०प्र०।

विषय- "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

भाग-अ

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक

1- आवेदिका का नाम.....

2- आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम.....

3- आवेदिका की माता का नाम.....

4- निवास का पता

5- आवेदिका की जन्म तिथिदिनांक माह..... वर्ष

6- आवेदिका की विवाह के समय आयु

7- जाति/वर्ग(अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक).....

8- आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय (रु०).....

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)

9- परिवार का बी०पी०एल० कार्ड क्रमांक एवं दिनांक

10- बचत खाता

बैंक का नाम - शाखा का नाम..... खाता क्रमांक

आईएफसी कोड

आवेदिका का
पासपोर्ट साइज
फोटो

भाग-ब-

वर का आधार कार्ड क्रमांक

11- वर का नाम.....

12- वर के पिता/अभिभावक का नाम

13- वर की माता का नाम

14- निवास का पता.....

15- वर की जन्म तिथि दिनांक माह वर्ष

16- विवाह के समय आयु

17- व्यवसाय एवं वार्षिक आय

18- बचत खाता :

बैंक का नाम : शाखा का नाम खाता क्रमांक

आईएफसीकोड

वर का पासपोर्ट
साइज फोटो

भाग-स

19- विधवा/परित्यक्त आवेदिका के सम्बन्ध में जानकारी -

- (1) पूर्व पति का नाम
- (2) पूर्व पति से विवाह होने का दिनांक
- (3) पूर्व पति की मृत्यु/विवाह विच्छेद होने का दिनांक
- (4) पूर्व पति के पिता/अभिभावक का नाम एवं पता

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्त जानकारी सही है तथा मैंने "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पूर्व में किसी तरह की विवाह सहायता प्राप्त नहीं की है। मैं यह विवाह परिवार और अपनी सहमति से कर रही हूँ।

स्थान.....
दिनांक

आवेदिका के हस्ताक्षर

एवं पूरा नाम

अभिकथन

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करता हूँ कि मैं "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के अन्तर्गत पात्रता के मापदण्ड में आता हूँ तथा मेरी कन्या/पुत्री के विवाह हेतु पहली बार सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरी कन्या एवं वर दोनों की आयु विवाह योग्य है।

स्थान.....
दिनांक

कन्या के पिता/अभिभावक के

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी एवं पूरा नाम

नोट :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें :-

- 1- आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 2- गरीबी रेखा/निराश्रित/बीपीओएल0 कार्ड की छायाप्रति
- 3- कन्या एवं वर की एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो
- 4- विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- 5- परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश की छायाप्रति
- 6- कन्या के बैंक खाता से सम्बन्धित पास बुक की छायाप्रति।

.....प्राप्ति रसीद.....

आवेदक का नाम:-

पता:-

दिनांक:-

कार्यालय प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
एवं नाम/पदनाम

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत जाँच प्रतिवेदन (प्रारूप)

जाँचकर्ता अधिकारी का नाम.....

पदनाम.....

जाँच का दिनांक.....

1- आवेदक का नाम:-

2- निवास का पूर्ण पता:-

3- आवेदक के पिता का नाम:-

माता का नाम:-

माता/पिता के सहोदरों पर अभिभावक का नाम:-

4- निवास का पूर्ण पता:-

5- जन्म तिथि/आयु:-

कन्या- दिनांक

	माह		वर्ष

	माह		वर्ष

	माह		वर्ष

	माह		वर्ष

	माह		वर्ष

विवाह दिनांक के
दिन आयु
विवाह दिनांक के
दिन आयु

6- आवेदक परिवार के आयु के स्रोत और वार्षिक आय:-

7- परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है तो वार्ड क्रमांक व दिनांक:-

8- आवेदक विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की है तो उसका विवरण:-

जाँच अधिकारी की टीम:-

(अ)- जाँच अधिकारी का विवाह के सम्बन्ध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नहीं/कन्या बीपीएल कार्डधारी है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जाय.....

(ब)- जाँच उपरान्त कन्या अपात्र पाये जाने पर मुख्य कारण अंकित करें

दिनांक:-

जाँच अधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर


उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण विभाग

(परिशिष्ट-4)


पंजीयन संख्या:-.....

दिनांक:.....

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न विवाह का
प्रमाण पत्र



वधु फोटो



वर फोटो

सौभाग्य
निवासी

पुत्री श्री

का विवाह श्री

पुत्र श्री

निवासी

के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत स्थान..... में
आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दिनांक..... को सम्पन्न हुआ।
नव-दम्पति के सुखमय जीवन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर.....

निकाय का नाम/मुहर.....

जनपद-..... उत्तर प्रदेश

(परिशिष्ट-5)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कन्या को
प्रदाय गृहस्थी की सामग्री पावती रसीद

विवाह तिथि:-

कन्या का नाम:-

पिता का नाम:-

निवास का पता:-

मेरे द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नीचे उल्लिखित कन्यादान सामग्री प्राप्त की गई:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

सामग्री प्राप्तकर्ता का नाम
हस्ताक्षर

साक्षी (गवाह)

1.....

2.....

हस्ताक्षर एवं पदमुहर
नोडल अधिकारी

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य
	सूदावरक्षा योजना योजना	योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ₹0 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹0 53450/- वार्षिक) के नीचे निम्नलिखित परिवार को 60 वर्ष या इससे ऊपर उम्र के व्यक्ति को प्रतिमाह 800 ₹0 की दर से त्रिमासिक किस्तों के माध्यम से लाभान्वित कर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, एवं शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिये उक्त प्रमाण पत्र आधार कार्ड संख्या एवं बैंक खाता संख्या को साथ विभागीय वेबसाइट https://sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ₹0 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹0 53450/- वार्षिक) के नीचे निम्नलिखित परिवार को 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति परिवार में अन्य में पर्याप्त मागीयरी को, की मृत्यु पर उसकी आर्थिक को एक मरत 30000/- की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में अन्तर्गत कराया जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वीकृति सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। योजनान्तर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या के साथ आर्थिक/अभेदक को सम्बन्धित की मृत्यु के लिए एक वर्ष के अन्दर विभागीय वेबसाइट https://nibs.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
	मुजबमंजी सामूहिक विवाह योजना	योजनान्तर्गत विधवा भी खाति एवं शर्म को कम से कम 10 जोड़ों का एक संघन पर सामूहिक विवाह सम्पन्न होने पर प्रति जोड़ा विवाह पर कुल 51000/- ₹0 की सहायता राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। इसमें सम्बन्धित सामूहिक विवाह हेतु सम्मिलित होने वाली कक्षा के बैंक खाते में एक मरत 35000/- की धनराशि अन्तर्गत कर लाभान्वित करने के साथ-साथ ₹0 10000/- मूल्य की विवाह संस्कार सामग्री (बिंदी की पायल, विद्युत्, कपड़े, बर्तन आदि) विवाह स्थल पर दिये जाने का प्रावधान है। आयोजन की अन्य व्यवस्थाओं के लिये प्रति जोड़ा ₹0 5000/- आयोजन स्थल को माध्यम से खर्च किया जाता है। योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 200000.00 ₹0 (दो लाख 20 हजार) सालाना आय के कम आय वाले व्यक्ति को 18 वर्ष से अधिक उम्र की कक्षा 21 वर्ष से अधिक के दर से सामूहिक विवाह सम्पन्न करने पर साथ दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदन, भूक्रीकरण, जॉब, स्वीकृति, सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के स्तर पर एवं नगर पालिका परिवार/नगर पंचायत में सम्बन्धित जविशाही अधिकारी के स्तर पर तथा नगर निगम में नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा सम्पादित की जाती है।
	अनुसूचित जाति एवं शान्ताय शर्म विवाह हेतु अनुदान योजना	योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ₹0 40080/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹0 53450/- वार्षिक) निम्नलिखित व्यक्ति की 18 वर्ष से ऊपर पुत्री की शादी हेतु ₹0 20000/- अभिभावक को बैंक खाते में अन्तर्गत कर लाभान्वित कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, एवं शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिये उक्त प्रमाण पत्र, उक्त प्रमाण पत्र, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या तथा शादी प्रमाण पत्र के साथ दिनांकीय वेबसाइट https://shaadlanudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
	अत्याचार उत्पीड़न आर्थिक सहायता योजना	योजनान्तर्गत अनुजजाति/जनजाति के व्यक्तियों का गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा जातिगत द्वेषों को उत्पीड़न करने पर अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों/परिवार/आश्रितों को शासन द्वारा विभिन्न प्रकरणों/घातकों के अन्तर्गत निर्धारित आर्थिक सहायता बैंक खाते में अन्तर्गत कर लाभान्वित करने का प्रावधान है।
	भूशिक्षण एवं दशमोत्तर अनुसूचित शोधक (अनुसूचित जाति एवं जनजाति)	योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित ₹0 2.50 लाख की आय सीमा एवं अनुजजाति/जनजाति के अन्तर्गत आने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शूल्क प्रतिपूर्ति का नुगतान पी0एफ0एफ0एफ0 प्रणाली के द्वारा सीधे राज्य स्तर से (डी0बी0टी0) धनराशि अन्तर्गत कर लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
	भूशिक्षण एवं दशमोत्तर अनुसूचित शोधक (आपायन वर्ग)	योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित ₹0 2.00 लाख की आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शूल्क प्रतिपूर्ति का नुगतान पी0एफ0एफ0एफ0 प्रणाली के द्वारा सीधे राज्य स्तर से (डी0बी0टी0) धनराशि अन्तर्गत कर लाभान्वित किया जाता है। योजनान्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु विभागीय वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
आगरा

मुख्य विकास अधिकारी
आगरा

जिलाधिकारी
आगरा

आगरा नगर निगम, आगरा
टीपें और आजाएँ

पृष्ठ सं.

रामा D/o श्री कुलबलाल

परिगणन

राहुल S/o रामचरन-A/c No-315981000014325

JFSC-BARBOSIDDHA

Bank of Baroda

ADD-FATEHABAD ROAD AGRA



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Page No.
0



याद रखें / Remember:

- आपके खाते में नवीनतम केनायसी, नामांकन, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन होने चाहिए.
Your account should be updated with your latest KYC, Nomination, Mobile number & Email ID
- अपनी पासबुक को सावधानी पूर्वक रखें. अपनी पासबुक पर हस्ताक्षर न करें. पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करें. किसी भी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए.
Preserve your passbook carefully. Do not put your signature on passbook. Get passbook updated regularly. Any discrepancy should be notified immediately.
- कृपया अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रयोक्ता आईडी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी संख्या किसी को न बताएं. कॉल या ई-मेल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मांगे जाने पर शाखा को सूचित किया जाना चाहिए.
Please do not give your personal information, user IDs, Pins, Password, CVV number to anyone. Any calls or emails requesting for such information should be notified to the branch.
- खाते के लिए पहली पासबुक नि:शुल्क होगी. शुल्क का भुगतान किए जाने पर डुप्लीकेट पासबुक उपलब्ध करवायी जाएगी.
First passbook in account is free. Duplicate passbook may be provided on payment of fee.
- प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 50 डेबिट (स्थायी अनुदेशों, वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों, सेवा प्रभारों से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़कर) की अनुमति होगी. 50 प्रविष्टियों से अधिक लेन देन होने पर प्रभार लगाया जाएगा.
50 debits (excluding Standing Instruction, Alternate Delivery Channels, related to service charges) per half year is permitted. Transaction exceeding above 50 will be charged.
- ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर खाते में जमा किया जाएगा.
Interest is calculated on daily basis and credited to accounts within 15 days of end of quarter.

Branch Name : FATEHABAD ROAD, AGRA Phone : 0562-2231770
Branch Address : 50/20K, SIDDHARTH NAGAR, OPP-HOTAL MUGHAL, FATEHABAD ROAD, AGRA, UTTAR PRADESH, I-INDIA
Branch Email ID : siddha@bankofbaroda.com
MICR Code : 232012011 IFSC : BARB0SIDDHA (Fifth character is zero)
Customer ID : JFC077901 FFO NO : NA
Account Number : 31590100014325 A/c Opening Date : 25-10-2021 00:00:00
Account Name : Rama
Address : 935K TULSI NAGAR GOBAR CHOWKI TALGANU
: AGRA AGRA UTTAR PRADESH
: AGRA UP 202001
Nominnee Name : RAHUL



दिनांक Date	विवरण Particulars	चेक नं. CHQ. No.	नामे ₹ Debit ₹	जमा ₹ Credit ₹	शेष राशी ₹ Balance ₹
##As on 06-02-2022 12:22:59	Clr Bal:0.00	Unclr Bal:0.00	Lien:0.00		
##As on 21-02-2022 12:36:48	Clr Bal:0.00	Unclr Bal:0.00	Lien:0.00		
##As on 18-04-2022 10:13:48	Clr Bal:0.00	Unclr Bal:0.00	Lien:0.00		

230/P/MSA/22
19-04-22

सेवा में,

सक्षम अधिकारी महोदय

नगर निगम आगरा

विषय : खातों में पैसा क्रेडिट न होने के संबंध में

महोदये,

निवेदन यह है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह दिनांक 11.12.2021 को नगर निगम द्वारा हुआ था जिसमें सभी प्रपत्र नगर निगम कार्यालय में जमा करा दिये थे अभी तक 35,000/- रुपया खातों में क्रेडिट नहीं हुआ है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया खातों में पैसा क्रेडिट कराने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

लाभार्थिया का विवरण

क्रम	नाम	बचत खाता संख्या	IFSC Code	शाखा
4.	गुंजन पुत्री रूप कमल	46968100005595	BARB0KAILAS	Bank of Baroda Sanjay Place Agra
8.	राधा पुत्री बंगाली	07081000022330	PSIB0000708	Punjab & Sindh Bank Sanjay Place Agra
12-	बीना कुमारी पुत्री दिनेश सविता	3500100009858	BARB0TRANSY	Bank of Baroda, Trans Yamuna Colony, Agra
21-	करिश्मा मिश्रा पुत्री हरेन्द्र मिश्रा	0004001700015761	PUNB0000400	Punjab National Bank, Daresi No. 2, Agra

अमर अग्र
19-04-22
अस

23- सिमरन पुत्री इम्तियाज खां 054110142919 IPOS0000001 Post

Office Nagla Devjit, Agra

24- यास्मीन पुत्री मो0 अली 054110146451 IPOS0000001 Post

Office Nagla Devjit, Agra

26- कल्पना पुत्री बीरबल सिंह 03702191088993 PUNB0037010

Punjab National Bank, Dhanauli, Agra

34- राखी कुश्वाह पुत्री विजेन्द्र सिंह कुश्वाह 86112010067060

CNRB0018611 Canara Bank, Naripura

36- दिव्या कुश्वाह पुत्री सतीश कुश्वाह 070710100013205

UBIN0807079 Union Bank of India, Sadar Bazar, Agra

सलग्न : सभी के खाते की छायाप्रति

लेक स्टेश बैंक का पी

दिनांक : 13.04.2022

संस्थापक अध्यक्ष

सत्यप्रकाश जैसवाल चेतना सेवा

समिति, संजय प्लेस आगरा

मो0नं0 9412372669

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 NAGAR MAHAPALIKA,
 NAGAR MAHAPALIKA, NAGAR NIGAM
 M.G.ROAD,
 AGRA UTTAR PRADESH
 282002
 Branch Code :3707
 Branch Phone :2855449
 IFSC : SBIN0003707
 MICR : 282002010
 Account No.:10033310034
 Product : CA-REGULAR-PUB-OTH-ALL-INR
 Currency : INR

Name : NAGAR NIGAM AGRA
 NAGAR MAHA PALIKA
 M. G. ROAD
 AGRA
 Agra

Date : 25/01/2022 Time : 12:39:05
 Cleared Balance : 74,18,104.09Cr
 +MOD Bal : 0.00
 Limit : 0.00
 Int. Rate : 0.00 % p.a.
 Account Open Date :
 Statement From : 20/01/2022 to 24/01/2022

E-mail : acamcagra@gmail.com
 Uncleared Amount : 0.00
 Monthly Average Balance: 0
 Drawing Power : 0.00
 Nominee Name :
 Account Status : OPEN
 Page No. : 1

Post Date	Value Date	Details	Chq.No	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				8425911.09Cr
20/01/22	20/01/22	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 10230332938 OF Mr. P AT 03707 NAGAR MAHAP	778436	62298.00		8363613.09Cr
21/01/22	21/01/22	CAS PRES CHQ PNB RAJESH KUMAR K	778441	4023.00		8359590.09Cr
21/01/22	21/01/22	CAS CHQ XFER WD CHEQUE TRANSFER TO 10033354345 OF M. D AT 03707 NAGAR MAHAP	778414	17571.00		8342019.09Cr
24/01/22	24/01/22	DEP TFR INB CPABIXKAD6 URBAN 37236685743 OF UTTAR AT 99922 INTERNET BA			1000.00	8343019.09Cr
24/01/22	24/01/22	DR THRU CHQ SBI BULK NEFT	778439	1260000.00		7083019.09Cr
24/01/22	24/01/22	CREDIT			35000.00 ✓	7118019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ GUNJAN WRONG IFSC CREDIT			35000.00 ✓	7153019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ YASMEEN WRONG IFSC CREDIT			35000.00 ✓	7188019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ RAMA WRONG IFSC DEP TFR	✓ 00		35000.00	7223019.09Cr
24/01/22	24/01/22	NEFT AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	✓ 12		35000.00	7258019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	21		35000.00	7293019.09Cr
		CARRIED FORWARD :				72,93,019.09Cr

Statement Summary

Dr. Count 4 Cr. Count 7 13,43,892.00 2,11,000.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

STATEMENT OF ACCOUNT

STATE BANK OF INDIA
 NAGAR MAHAPALIKA,
 NAGAR MAHAPALIKA, NAGAR NIGAM
 M.G.ROAD,
 AGRA UTTAR PRADESH
 282002
 Branch Code :3707
 Branch Phone :2855449
 IFSC : SBIN0003707
 MICR : 282002010
 Account No.:10033310034
 Product : CA-REGULAR-PUB-OTH-ALL-INR
 Currency : INR

Name : NAGAR NIGAM AGRA
 NAGAR MAHA PALIKA
 M. G. ROAD
 AGRA
 Agra

Date : 25/01/2022 Time : 12:39:05
 Cleared Balance : 74,18,104.09Cr
 +MOD Bal : 0.00
 Limit : 0.00
 Int. Rate : 0.00 % p.a.
 Account Open Date :
 Statement From : 20/01/2022 to 24/01/2022

E-mail : acamcagra@gmail.com
 Uncleared Amount : 0.00
 Monthly Average Balance: 0
 Drawing Power : 0.00
 Nominee Name :
 Account Status : OPEN
 Page No. : 2

Post Date	Value Date	Details	Chq.No	Debit	Credit	Balance
		BROUGHT FORWARD :				7293019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	23 Simran		35000.00	7328019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	26 Kalpana		35000.00	7363019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	34 Rakhi Kusuman		35000.00	7398019.09Cr
24/01/22	24/01/22	✓ AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR NEFT	36 Divya Kusuman		35000.00	7433019.09Cr
24/01/22	24/01/22	AT 04430 PAYMENT SYS DEP TFR INB CPABIXUZY2 URBAN 37236685743 OF UTTAR AT 99922 INTERNET BA			3000.00	7436019.09Cr
		CLOSING BALANCE :				74,36,019.09Cr

Statement Summary

Dr. Count 4 Cr. Count 12 13,43,892.00 3,54,000.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

-- END OF STATEMENT --

उभयै सा - 04



कुलाशपुरी

Reference Card/संदर्भ कार्ड

Account Opened Successfully 170031492154

Reference Number//संदर्भ संख्या: 170031492154
UID Number/यूआईडी नंबर: XXXXXXX1846
CIF Number/सीआईएफ नंबर: XXXXXB935
Account Number/खाता संख्या: 46968100005595 ✓
First Name/पहला नाम: Gunjan
Last Name/अंतिम नाम: 1
Address/पता: 37/201 BUNDU KATRA gwalior
ROAD AGRA
Nominee Name/नामांकित व्यक्ति का नाम: PRIYA
Nominee Relation/नामांकित व्यक्ति का संबंध: MOTHER
City/शहर: Agra
Customer city/ग्राहक शहर: AGRA
Date Of Birth/जन्म की तारीख: 06/08/2000
Gender/लिंग: F
Mobile Number/मोबाइल नंबर: XXXXXX6740
Pin Code/पिन कोड: 282001



Click For Deposit

A/c 46968100005595 ✓
IFSC CODE BARBOKAILAS ✓

बैंक ऑफ बरोडा कुलाशपुरी ब्रांच

कमाल साव - 08

ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ

- ⇒ कृपया पास-बुक एवं चैक-बुक को सुरक्षित रखें।
- ⇒ नकदी केवल नकदी काउंटर पर ही जमा करें।
- ⇒ पास बुक नियमित रूप से अद्यतन करवाएं।
- ⇒ किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर तुरंत संबंधित शाखा से सम्पर्क करें।
- ⇒ नकदी काउंटर को छोड़ने से पहले नोटों को ठीक प्रकार से गिन लें।

PRECAUTIONS TO BE TAKEN BY CUSTOMERS

- ⇒ Keep Pass Book & Cheque Book in safe custody
- ⇒ Deposit cash at cash receiving counter only
- ⇒ Pass Book must be updated at regular intervals.
- ⇒ In case of any discrepancy, inform the concerned branch immediately
- ⇒ Before leaving the cash counter, the notes must be counted.

 पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank पंजाब अँड सिंध बैंक

IBD AGRA

MISS RADHA

23/2435 WAZEENPURA

AGRA

AGRA (UTTAR PRADESH) - 282002

Uttar Pradesh, INDIA

✓ IFSC Code: PSIB0000708 MICR Code: 282023005

WORKER/LABOURER

Nomination Regn: Yes Nominee Name:

Note :DICGC insures principal & interest of eligible depositors, upto a maximum admissible amount of Rs 5 lakh subject to changes from time to time**T&C of DICGC shall apply.

Customer ID:

014457198

प्रबंधक / MANAGER

BRANCH ADDRESS :

38/4 8-7 FRIENDS CENTRE

SANJAY PLACE

AGRA-282003

PHONE: 2521430,2523538

FAX:

✓ Account No : 07081000022330 ✓

PPD NUMBER :

PPD NUMBER2 :

80 अरु जल्लेक

एग्रीड सो 12



यह पासबुक बैंक के किसी भी सेल्फ-सर्विस पासबुक प्रिंटर पर अद्यतन हो सकती है।
This passbook can be updated at any of the Bank's Self-Service Passbook Printer.

उपयोगी जानकारी/Useful Tips:



Sr.No.: 5678250415021379

1. अपना मोबाइल नंबर ई-मेल आईडी तथा पता आदि अद्यतन करवाएं।
Update your latest Mobile number, email-ID, Address etc in the branch.
2. पासबुक को संभालकर रखें. पास बुक में कहीं भी अपने हस्ताक्षर न करें. पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करवाएं. किसी भी विसंगति की सूचना तत्काल दी जाए अन्यथा बैंक द्वारा यह मान लिया जाएगा कि प्रविष्टियां/शेष सही है और ग्राहक को स्वीकार्य हैं.
Preserve your passbook carefully. Do not put your signature on passbook. Get pass-book updated regularly. Any discrepancy should be notified immediately, failing which the Bank would assume the entries / balance as correct and accepted by the constituent.
3. कृपया ऐसे ई-मेल पर ध्यान न दें जिसमें आपके बैंक खाता विवरण के बारे में पूछताछ की गई हो. कृपया इंटरनेट बैंकिंग खाते के यूजर आई-डी, पासवर्ड, एटीएम पिन आदि की जानकारी अन्य को न दें.
Please ignore emails that ask for your bank account details. Please do not part with internet banking account's user-ID, password, OTP, ATM pin etc.

Branch Name : TRANS YAMUNA COLONY, AGRA,UP Phone : 0562 - 3214857
Branch Email ID : transy@bankofbaroda.com
IFSC : BARBOTRANSY ✓ [Fifth character is zero]
MICR Code : 282012015
Customer ID : FHR011301
Account Number : 35800100009858 ✓
Account Name : USENA KUMARI
Address : DO DINESH SAUITA 110/557
: NARAICH
: AGRA UP 282006
A/c Opening Date : 29-07-2015
Nomination Added : No

वीना कुमारी

उमरि सा 21

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank
...the name you can BANK upon!

AGRA, DARESHI NO.-2
DARESHI NO.-2, AGRA, - 282004 (Phone: 0562,2263086,2267113)

ACCOUNT PARTICULARS

MICR Code: 282024005
IFSC Code: PUNB0000400



Toll Free-18001802222/18001032222, Tolleed-01202490000*
Principal Nodal Officer: Phn-01123716185 Fax-01123323707*

Mode of Operation : SELF
Customer No. : AAD009442
Account No. : 0004001700015761 INR
KUM KARISHMA MISHRA
D/O HARENDRA MISHRA
D-1090, KALINDI VIHAR

AGRA
UTTAR PRADESH INDIA Pin: 282006
Nomination Registered at Sl.No. : 2527733720
Nominee Name : NEETU MISHRA
Date of Issue : 23-04-2015

पासबुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

पीछे से लाया गया Brought Forward	पी./ला. B/F	इंटरसोल Inter Sol	आईएसओ ISO
आगे से लाया गया Carried Over	आ/ले. जा A/L. Ja	ब्याज Biaj	ब्याज Biaj
नकद Cash	C/O	Interest	Intt.
चेक Cheque	नकद Cash	ऑनक डाक अन्तरण Inward Mail Transfer	आई.एम.टी. I.M.T.
समाशोधन Clearing	चेक Ch.	स्थानीय चेक/मांग ड्राफ्ट Local Cheque/Demand Draft	एल.डी.डी. L.D.D.
कमीशन Commission	स.शां S.Sha.	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण National Electronic Fund Transfer	एनईएफटी NEFT
बट्टा Discount	कमी. Com.	बाहरी चेक / बिल Outstation Cheques / Bills	ओ.बी.सी. O.B.C.
लाभाना पत्र Dividend Warrant	बट्टा Disc.	बाहरी चेक/खरीदे गये बिल Outstation Cheques/Bills Purchased	डीडी DD
ड्राफ्ट Draft	ला.पत्र D/W	तत्काल सकल निपटान Real Time Gross Settlement	आरटीजीएस RTGS
इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा Electronic Clearing Services	ड्रा. Dft.	वापसी Returning	वापसी Rtg.
प्रासंगिक प्रसार Incidental Charges	ईसीएस ECS	अन्तरण Transfer	अं. Tr.
	प्र.प्र. P.P.		
	I/C		



नाम/Name खाताधारक/Account Holder-1 नाम/Name खाताधारक/Account Holder-2 नाम/Name खाताधारक/Account Holder-

आधिकारित अधिकारी/प्रबंधक / Authorized Official/Manager

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

बैंक ग्राहक के चेकों को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेषों तथा संबंधित दिन में खाते से एटीएम व इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखेंगा।
Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance upto the previous day and against clear balance including withdrawals made through Internet Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK
24 घंटे नि:शुल्क कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध है। 18001802222 / 18001032222
Toll free 24 hours call centre 18001802222 / 18001032222

कुर्नाल का 23

पोस्ट बैंक Post Bank
www.iposbank.com



400000022180031

Name सिमरन ✓

A/c Number 0541101429119 ✓

IFSC IPOS0000001 ✓

Registration: 8424054994 Seeding number: 8424048338 Measurement: 8424026886
For any account related queries call 155299 / 1800 180 7980
Email or contact: ipos@iposbank.com Website: www.iposbank.com

© 2019 IPBS. All rights reserved. IPBS is a member of the Post Bank Group.

Access any Bank Account

Receive DBT directly in your accounts

Call on 155299 / 1800 180 7980 to avail Doorstep Banking Service

SCAN HERE ▶



How to use QR Code



Download IPBS Mobile App from

पोस्ट बैंक Post Bank
www.iposbank.com

वर्क सा 24

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक India Post Payments Bank
Aapka bank, aapke dwaar

4000000022180236

Name **यारुमान** ✓

A/c Number **054110146451** ✓

IFSC **IPOS0000001** ✓

Missed Call Service
Registration Dial 8424054994 Balance Enquiry Dial 8424046556 Mini Statement Dial 8424026886
For any account related queries, call 155299 /1800 180 7980
Email at contact@ippbonline.in Website: www.ippbonline.com

MCTB0190920

If found, please return this card to the nearest IPPB Branch.

उमंग 26

ग्राहकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां

1. पास बुक तथा चेक बुक सुरक्षित स्थान में रखें
2. नकदी को केवल नकदी प्राप्ति काउंटर पर ही जमा करें
3. पास बुक नियमित अंतरालों में अद्यतन कराएं
4. कोई विसंगति होने की स्थिति में, तत्काल सूचित करें

PRECAUTIONS TO CUSTOMER

1. Keep Pass Book & Cheque Book at safe place.
2. Deposit cash at cash receiving counter only.
3. Get your Pass-Book updated at frequent intervals.
4. In case of any discrepancy, inform immediately.

Contact & Visit at:

General:	1800-180-1235 (Toll Free); 0124-2340940
ATM Matters:	1800-345-2424 (Toll Free)
Chief Grievance Redress Officer:	0124-4126110, 0124-4126498
Website:	www.obcindia.co.in
Net Banking:	www.obconline.co.in

Code of Bank's Commitment to customers: www.bcsbi.org.in

"In case of need, refer the matter to Chief Customer Service Officer, Oriental Bank of Commerce, 2nd Floor, Harsha Bhawan, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001"

बैंकिंग लोकपाल का नाम व पता

Name & Address of Banking Ombudsman



ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
ORIENTAL BANK OF COMMERCE

AGRA-DHANOLI
VILL. & PO: NAGLA BUDHA
JAGNER ROAD
AGRA, UTTAR PRADESH
Phone Nos: 0562-2302001
E-mail Id: bm0370@obc.co.in
IFSC Code : ORBC0100370
MICR Code : 282022003

Cust Id: 37698294

A/c No: 03702191088993 ✓

Name: MISS KALPANA DO VEERPAL SINGH

(FATHER)

Address: NAI ABADI SRAWASTI NAGAR
NARIPURA
AGRA
UTTAR PRADESH INDIA
PIN: 282001

Mode of Oprn: SELF OPERATED MINOR ACCOU

D.O.B. (If Minor): 06-03-1999

Nomination Regd. No

DL of A/c Opening : 13-05-2015

Dt of Issue : 18-05-2015

0370 BK331159 (1)

IFSC CODE

PUNB0037010 ✓

प्राधिकृत हस्ताक्षर
Authorised Signature

ओरियन्टल बैंक पंजाब में मिल गयी है
अज भद बैंक पंजाब में बदल गयी है
A/c 03702191088993 ✓
IFSC CODE PUNB0037010 ✓

कमोड सा 34

केनरा बैंक  Canara Bank

NAME AND ADDRESS OF BRANCH:
NARIPURA, AGRA
CANARA BANK
NEAR AJIT NAGAR CROSSING, NARIPURA

AGRA
UTTAR PRADESH-282001

IFSC Code: CNRB0018611 MICR Code: 282015070

Tel No: Fax No:

Email ID: cb18611@canarabank.com

Contact details of Banking Ombudsman:

The Banking Ombudsman

C/o. RBI

M G Road, Post Box No.82

Kanpur

Kanpur-208001

Tel.No.0000,0000

Fax.No.0 Email ID:bokanpur@rbi.org.in

ACCOUNT DETAILS

NAME(S)

Account No: 96112010067060

RAKHI KUSHWAH

Occupation

Address

Others

D O BIJENDRA SINGH KUSHWAH, 60/55 AKBARPUR
KHAWASPURA, AGRA-282001-UTTAR PRADESH-INDIA
PIN/ZIP number: 282001

Customer ID : 251373618

A/C Opened On

Mode of Operation: N/A

Mobile: 919690047243

PAN NO:

Nominee Reg: Y

Nominee Name:

D.O.B : 14-AUG-2001

12-SEP-2016

PB Issue Date: 12-SEP-2016

Email:

8244504 KYE Identifier:

PPO No:

Nominee Reg No:




अधिकारी / प्रबंधक Officer / Manager

राखी कुशावाह

ॐ नमः शिवाय
 Union Bank of India
 न्यूनतम सवलत बाजार भागी में
 ३५

दिनांक DATE	विवरण PARTICULARS	चैक क्र. CHEQUE NO.	आहरित राशि AMOUNT WITHDRAWN	जमा की गई राशि AMOUNT DEPOSITED	खाता शेष BALANCE	संक्षिप्त हस्ताक्षर INITIALS
					Now, Union Bank of India New IFSC : UBIN0807079	✓ ✓
0707	AGRA				BrPh : 5622226398.5036.6675 IFSC CODE: ANDB0000707 MICR CODE: 282011002	
	A/4 SURAJ COMPLEX.TAJ ROAD SADAR BAZAR					
	AGRA,UTTAR PRADESH					
	AGRA					
	UTTAR PRADESH -282001					
	MISS DIVYA KUSHWAH				070710100013205	
	35/191A NAGLA BAHANI SINGH BINDU KATRA				Scheme Code: SBEGP CUST.ID : 33000849	
	AGRA					
	AGRA					
	UTTAR PRADESH -282002					
	SELF					



Divya Kushwah

हमारे सॉ 35


ABHAYA GOLD



Offers

Rs.1,00,000.00

Accident Insurance Cover



Comp. No..11302

शाखा / Branch

आन्धा बैंक Andhra Bank

पास बुक PASS BOOK

BrPh : 5622226398.5036,6676

0707 AGRA
A/4 SURAJ COMPLEX,TAJ ROAD SADAK BAZAR
AGRA,UTTAR PRADESH

खातेधार का नाम /

Name of A/c Holder

पता

Address:

फोन नम्बर

Phone No:

दिनांक

Date

MISS DIVYA

36,191A NAGLA BABHANI SINGH BINDU KAPHA

AGRA

AGRA

Pin : 282002

SELF

05-08-2010

खाता संख्या

A/c No.

खंड क्र.

Vol.Nocheme Code: SBEGP

CUST.ID : 33000849

070710100013205 ✓



प्रबंधक के हस्ताक्षर
Manager's Signature

प्रधान कार्यालय : सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

Head Office : Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Divya Kushwah